[2018] 14 एस. सी. आर 791

एम/एस।ई. एम. ए. आर. एम. जी. एफ. लैंड लिमिटेड

वी.

अफताब सिंह

(समीक्षा याचिका (सी) संख्या। 2629-2630 2018 का)

में

(सिविल अपील सं। 23512-23513 2017 का)

10 दिसंबर, 2018

[उदय उमेश ललित और अशोक भूषण, जे. जे.]

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986-उपभोक्ता विवाद, चाहे वे मध्यस्थता योग्य हों या नहीं-अपीलार्थी-कंपनी एक एकीकृत व्यवस्था विकसित कर रही थी।

टाउनशिप-प्रतिवादी ने विला के आवंटन के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया-खरीदार के समझौते में, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के तहत पक्षों के बीच विवादों के निपटारे के लिए एक मध्यस्थता खंड था-प्रतिवादी ने शिकायत दर्ज की

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एन. सी. डी. आर. सी.) के समक्ष-अपीलार्थी ने यू / 1996 के अधिनियम की धारा 8 के लिए

मामले को मध्यस्थता को संदर्भित करना-NCDRC ने खारिज कर दिया

आवेदन यू / 1996 के अधिनियम की धारा 8 और यह अभिनिर्धारित किया कि उपभोक्ता अधिनियम और न्यायालय द्वारा विकसित न्यायशास्त्र के आलोक में, धाराओं की उप धारा (1) में संशोधन किया गया। 8 अधिनियम के तहत गठित उपभोक्ता मंचों को मध्यस्थता समझौते के संदर्भ में पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने के लिए एक जनादेश के रूप में नहीं माना जा सकता है। उचित संशोधन यू / 1996 के अधिनियम की धारा 8 का उद्देश्य मध्यस्थता के संदर्भ को अस्वीकार करने के लिए न्यायिक प्राधिकरण के दायरे को कम करना था और

केवल इस आधार पर संदर्भ को अस्वीकार किया जा सकता था कि यह प्रथम दृष्टया पाता है कि कोई वैध मध्यस्थता समझौता मौजूद नहीं है-लेकिन, एस में संशोधन। 8 इसे ऐसा विस्तृत अर्थ और इरादा नहीं दिया जा सकता है ताकि विशेष विधानों की पूरी व्यवस्था को जलमग्न किया जा सके जहां विवादों को गैर-मध्यस्थ माना गया था-हालांकि, यदि कोई व्यक्ति क़ानूनों के तहत प्रदान किए गए अतिरिक्त विशेष उपचार की मांग करने का हकदार है और वह मध्यस्थता समझौते का एक पक्ष है, तो मध्यस्थता में आगे बढ़ने वाले विवादों में कोई रोक नहीं है-यह केवल वही मामला है जहां विशिष्ट/विशेष उपचार प्रदान किए

जाते हैं और जिन्हें एक पीड़ित व्यक्ति द्वारा चुना जाता है कि न्यायिक प्राधिकरण विशेष विधानों की पूरी व्यवस्था को खारिज करने से इनकार कर सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मध्यस्थता के पक्षकार-इस प्रकार, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत शिकायत एक विशेष उपाय है, मध्यस्थता समझौता होने के बावजूद उपभोक्ता मंच के समक्ष कार्यवाही जारी रखनी है-अपीलार्थी द्वारा दायर आवेदन को अस्वीकार करने में एन. सी. डी. आर. सी. द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है। धारा 8-मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 -

संशोधित एस। 8 मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 द्वारा।

पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने

पकड़ना: 1. इस न्यायालय ने निर्णयों की श्रृंखला में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के साथ-साथ

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उस शिकायत को एक विशेष उपाय के रूप में निर्धारित किया, एक मध्यस्थता समझौता होने के बावजूद उपभोक्ता मंच के समक्ष कार्यवाही जारी रखनी होती है और आवेदन को अस्वीकार करने पर उपभोक्ता मंच द्वारा कोई त्रुटि नहीं की जाती है। अधिनियम, 1996 द्वारा मध्यस्थता समझौते के बल पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत कार्यवाही में हस्तक्षेप नहीं करने का कारण है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपचार किसी भी वस्तु या सेवा में खराबी होने पर उपभोक्ता को प्रदान किया जाने वाला उपचार है। शिकायत का अर्थ है कि शिकायतकर्ता द्वारा लिखित रूप में लगाए गए किसी भी आरोप को अधिनियम की धारा 2 (सी) में भी समझाया गया है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपचार शिकायत तक सीमित है

दोष या कमियों के लिए अधिनियम के तहत परिभाषित उपभोक्ता

एक सेवा प्रदाता के कारण, उपभोक्ता को सस्ता और त्वरित उपचार प्रदान किया गया है जो अधिनियम का उद्देश्य और उद्देश्य है। [पैरा 25] [809-ई-एच]

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड बनाम। एम. मधुसूदन रेड्डी और एक अन्य (2012) 2 एससीसी 506: [2012] 2 एस. सी. आर. 1065; डचूरो फेलगुएरा, एस. ए. बनाम। गंगावरम पोर्ट लिमिटेड (2017) 9 एस. सी. सी. 729: [2017] 10 एस. सी. आर. 285; ए. अय्यासामी बनाम। ए. परमशिवम और अन्य (2016) 10 एससीसी 386: [2016] 11 एस. सी. आर. 521; लखनऊ विकास अधिनियम v. एम. के. गुप्ता, (1994) 1 एससीसी 243: [1993] 3 पूरक। एस. सी. आर. 615; सचिव, थिरुमुरुगन सहकारी कृषि ऋण सोसायटी बनाम। एम. ललिता (मृत) एलआर के माध्यम से। और अन्य, (2004) 1 एससीसी 395; फेयर एयर इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड और एक अन्य वी। एन. के. मोदी (1996) 6 एस. सी. सी. 385:

एम/एस। ई. एम. ए. आर. एम. जी. एफ. लैंड लिमिटेड वी. अफताब सिंह

[1996] 4 पूरक। एस. सी. आर. 820; स्काइपैक कोरियर्स लिमिटेड बनाम। टाटा केमिकल्स, (2000) 5 एस. सी. सी. 294 [2000] 1 पूरक। एस. सी. आर. 324; रोज़डेल डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम

अघोर भट्टाचार्य और अन्य (2018) 11 एस. सी. सी. 337

- संदर्भित किया गया।

2. न केवल उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की कार्यवाहियां विशेष कार्यवाहियां हैं जिन्हें मध्यस्थता समझौते के बावजूद अधिनियम के तहत जारी रखने की आवश्यकता थी, बल्कि बड़ी संख्या में अन्य क्षेत्र भी हैं जहां मध्यस्थता समझौता न तो कार्यवाहियों को रोक सकता है और न ही बाधित कर सकता है। [पैरा 26] [810-ए-बी]

बूज़ एलन और हैमिल्टन इंक. बनाम। एस. बी. आई. होम फाइनेंस लिमिटेड और अन्य (2011) 5 एस. सी. सी. 532: [2011] 7 एस. सी. आर. 310-पर निर्भर।

3. धारा 8 में संशोधन लाने में विधायी इरादा और उद्देश्य क्या है, इस मुख्य प्रश्न का उत्तर दिया जाना चाहिए।

विधायी आशय और उद्देश्य केवल उपरोक्त पहलुओं तक ही सीमित थे और उन पहलुओं पर नहीं थे, जहां कुछ विवादों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने की आवश्यकता नहीं थी। क्या यह कहा जा सकता है कि धारा 8 (1) के तहत संशोधन के बाद, इस न्यायालय द्वारा धारा 2 (3) के संदर्भ में निर्धारित कानून, जहां बड़ी संख्या में श्रेणियां हैं जिन्हें गैर-मध्यस्थ माना गया है, उन्हें उलट दिया गया है या शून्य पर रखा गया है। न तो ऐसा कोई विधानमंडल इरादा था और न ही इस तरह के किसी परिणाम पर विचार किया गया था कि धारा 2 (3) के संदर्भ में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को नजरअंदाज या उलट दिया जाना चाहिए।

[पैरा 36,49 और 50] [815-जी; 823-जी-एच; 824-ए-सी]

4. धारा 8 में संशोधन को ऐसा विस्तृत अर्थ और इरादा नहीं दिया जा सकता है ताकि विशेष विधानों की पूरी व्यवस्था को जलमग्न किया जा सके जहां ऐसे विवाद मध्यस्थता योग्य नहीं थे। कुछ ऐसा जिसका कानून का इरादा कभी नहीं था, वह [2018] 14 एस. सी. आर. नहीं हो सकता।

तय किए गए कानून को ओवरराइड करने के लिए साइड विंड के रूप में स्वीकार किया गया। "उच्चतम न्यायालय या किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के बावजूद" शब्द केवल उन उदाहरणों के लिए थे जहां यह निर्धारित किया गया था कि न्यायिक प्राधिकरण धारा 8 के तहत संदर्भ देते समय मध्यस्थता समझौते के विभिन्न पहलुओं पर गौर करने का हकदार होगा, मध्यस्थता की विषय वस्तु चाहे दावा जीवित हो या मृत, चाहे मध्यस्थता समझौता है या नहीं।

शून्य और शून्य। धारा 8 में जोड़े गए शब्द किसी अन्य अर्थ के लिए नहीं हो सकते हैं। [पैरा 52] [824-एफ-एच; 825-ए]

पी. आनंद गजपति राजू और अन्य बनाम। पी. वी. जी. राजू

(मृत) और अन्य, (2000) 4 एससीसी 539: [2000] 2 एससीआर 684 ; विमल किशोर शाह और अन्य बनाम। जयेश दिनेश

102 ; सुकन्या होल्डिंग्स (पी) लिमिटेड बनाम जयेश एच. पांड्या और दूसरा (2003) 5 एस. सी. सी. 531: [2003] 3 एससीआर 558;

अमित लालचंद शाह और अन्य बनाम। ऋषभ एंटरप्राइजेज

और दूसरा, ए. आई. आर. 2018 एस. सी. 3041: [2018] एससीआर 1001 - संदर्भित किया गया।

5. हालाँकि, यदि कोई व्यक्ति माँगने का हकदार है

कानूनों के तहत प्रदान किया गया अतिरिक्त विशेष उपचार अतिरिक्त/विशेष उपचार का विकल्प नहीं चुनता है और वह मध्यस्थता समझौते का एक पक्ष है, मध्यस्थता में आगे बढ़े जाने वाले विवादों में कोई अवरोध नहीं है। यह केवल वही मामला है जहां विशिष्ट/विशेष उपचार प्रदान किए जाते हैं और जिन्हें एक पीड़ित व्यक्ति द्वारा चुना जाता है कि न्यायिक प्राधिकरण पक्षों को हटाने से इनकार कर सकता है। मध्यस्थता के लिए। इस प्रकार, धारा 8 के तहत अपीलार्थी द्वारा दायर आवेदन को अस्वीकार करने में एन. सी. डी. आर. सी. द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है। [पारस 55,56] [827-ए-सी]

मामला कानून संदर्भ

[2012] 2 एससीआर 1065

पैरा 9

संदर्भित किया गया है

[2017] 10 एससीआर 285

पैरा 9

संदर्भित किया गया है

[2016] 11 एससीआर 521

संदर्भित किया गया है

पैरा 9

[1993] 3 पूरक। एससीआर 615

संदर्भित किया गया है

पैरा 15

(2004) 1 एस. सी. सी. 395

संदर्भित किया गया है

पैरा 16

[1996] 4 पूरक। एससीआर 820

संदर्भित किया गया है

पैरा 17 एम/एस।

ई. एम. ए. आर. एम. जी. एफ. लैंड लिमिटेड वी. अफताब सिंह

[2000] 1 पूरक। एससीआर 324

संदर्भित किया गया है

पैरा 18

(2018) 11 एस. सी. सी. 337

संदर्भित किया गया है

पैरा 21

[2000] 2 एससीआर 684

संदर्भित किया गया है

पैरा 42

[2003] 3 एससीआर 558

पैरा 44

संदर्भित किया गया है

[2018] एससीआर 1001

संदर्भित किया गया है

पैरा 48

[2011] 7 एससीआर 310

उस पर भरोसा करें

पैरा 52

[2016] 7 एससीआर 102

संदर्भित किया गया है

पैरा 52

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: समीक्षा याचिका (सी) संख्या।

2629-2630 सिविल अपील सं. 2018 में। 23512-23513 2017 से।

28.08.2017 और 13.07.2017 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2015 के शिकायत मामला संख्या 701 में नई दिल्ली में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग

फली एस. नरीमन, वरिष्ठ अधिवक्ता।, आदित्य नारायण, अर्णव नारायण,

सुश्री अंजना जी. बाली, अर्जुन जैन, सुश्री अनुश्री नारायण, कबीर दीक्षित, मिश्रा राजशेखर, नईमुल्लाहज़ीम, वहेब हुसैनी, सुश्री आसिता, सुभाष शर्मा, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए

आदित्य स्वरूप, ध्रुव पाल, समर्थ खन्ना, सुश्री अपराजित

मुखर्जी, अधिवक्ता।, उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

अशोक भूषण, जे।

1. इन पुनर्विचार याचिकाओं की समीक्षा की मांग की गई है

इस न्यायालय का दिनांकित 13.02.2018 निर्णय जिसके द्वारा दीवानी अपीलों को खारिज कर दिया गया था।

2. सिविल अपील सं। 23512-23513 2017 का दाखिल किया गया था

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (इसके बाद "एन. सी. डी. आर. सी". के रूप में संदर्भित) की बड़ी पीठ द्वारा उपभोक्ता विवादों को गैर-मध्यस्थता योग्य ठहराते हुए पारित दिनांक 1 के आदेश को चुनौती दी गई है। अपीलार्थी द्वारा मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (इसके बाद "1996 अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 8 के तहत दायर आवेदन को खारिज करते हुए एन. सी. डी. आर. सी. के एकल सदस्य द्वारा पारित बाद के आदेश को रद्द करने के लिए भी प्रार्थना की गई थी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

3. इन समीक्षाओं में उठाए गए मुद्दे की प्रकृति को देखते हुए

याचिकाओं पर, हमने 17.09.2018 पर नोटिस जारी करने के बाद समीक्षा याचिकाओं में 27.11.2018 पर पक्षों के लिए विद्वान वकील को सुना है। पुनरीक्षण याचिका दायर करने में देरी को माफ कर दिया जाता है। पक्षों के विद्वान वकील ने विस्तृत प्रस्तुतियाँ की हैं, जिन पर हम इन समीक्षा याचिकाओं में विचार करने के लिए आगे बढ़ते हैं।

4. नागरिक अपीलों और समीक्षा याचिकाओं को जन्म देने वाले संक्षिप्त तथ्यों पर यहाँ उठाए गए मुद्दों की सराहना करने के लिए ध्यान देने की आवश्यकता है। अपीलार्थी एक कंपनी है जिसने मोहाली जिले में भूमि का अधिग्रहण और खरीद की है।

पंजाब में एक एकीकृत बस्ती की स्थापना और विकास करने की दृष्टि से। प्रत्यर्थी ने मोहाली के सेक्टर 106 में एक विला के आवंटन के लिए अपीलार्थी को एक आवेदन प्रस्तुत किया। अपीलार्थी और प्रत्यर्थी के बीच एक खरीदार का समझौता दिनांक 06.05.2008 दर्ज किया गया था। क्रेता के समझौते में, एक मध्यस्थता खंड था जो निपटान के लिए प्रदान करता था 1996 के अधिनियम के तहत पक्षों के बीच विवाद। 27.07.2015 पर, प्रत्यर्थी ने शिकायत के पैराग्राफ No.17 में निम्नलिखित राहतों के लिए प्रार्थना करते हुए अपीलार्थी के खिलाफ NCDRC के समक्ष 2015 की शिकायत संख्या 701 दायर की, जो इस प्रकार हैं:

शिकायतकर्ता विरोधी पक्षों को निर्देश देने के लिए प्रार्थना करता है

" ए।

सेक्टर में निर्मित विला नंबर 40 का कब्जा देने के लिए

106 , गमाड, और

दिनांकित 2.2.2008 पत्र के संदर्भ में अतिरिक्त भुगतान को समायोजित करने के लिए,

बी।

अनुलग्नक सी-5, जो रु. 2,63,165/- पर आता है और जुर्माने को समायोजित करने के लिए @Rs.1500/- प्रति माह

सी.

समझौते का खंड 8,2011 के बाद अब तक 55 महीनों के लिए है जो Rs.83,500/- पर आता है और

डी।

उपरोक्त कटौती करने के बाद अंतिम खाते को समायोजित करना।

खंड बी और सी का प्रावधान और शेष/शेष भुगतान को शिकायतकर्ता को जल्द से जल्द वापस करना।

6.2.2010 (यानी 24 महीने) से 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज

समझौते की तारीख से) और माननीय राष्ट्रीय आयोग को अनुदान देने में खुशी हो सकती है

ई.

रुपये का मुआवजा। 20,00,000 विरोधी पक्षों की ओर से सेवा में कमी, शिकायतकर्ता को हुई मानसिक पीड़ा और उत्पीड़न के कारण,

और एम/एस। ई. एम. ए. आर. एम. जी. एफ. लैंड लिमिटेड वी. आफताब सिंह [अशोक भूषण, जे.]

इस शिकायत की कीमत प्रतिद्वंद्वी से दी जा सकती है

शिकायतकर्ता को, और

माननीय राष्ट्रीय आयोग को अनुदान देने में खुशी हो सकती है

जी।

मामले की परिस्थितियों में माननीय राष्ट्रीय आयोग द्वारा उचित और उचित समझी जाने वाली कोई अन्य राहत।

5. एन. सी. डी. आर. सी. द्वारा अपीलार्थी को 09.11.2015 पर नोटिस जारी किया गया था जिसमें अपीलार्थी को 11.01.2016 पर उपस्थित होने के लिए कहा गया था। अपीलार्थी उपस्थित हुआ

और लिखित बयान दाखिल करने के लिए समय बढ़ाने के लिए आवेदन किया। अपीलार्थी ने 1996 के अधिनियम की धारा 8 के तहत अपीलार्थी के लिए और उसकी ओर से मामले को मध्यस्थता के लिए भेजने के लिए एक आवेदन भी दायर किया। आवेदन में, अपीलार्थी ने क्रेता के समझौते के खंड 43 का उल्लेख किया है, जो अपीलार्थी के अनुसार

1996 अधिनियम की धारा 7 (2) के संदर्भ में वैध मध्यस्थता समझौता। याचिकाकर्ता ने शिकायत का जवाब भी दाखिल किया। 1996 के अधिनियम की धारा 8 के तहत दायर आवेदन पर प्रतिवादी द्वारा इस प्रार्थना के साथ आपत्ति जताई गई थी कि उक्त आवेदन को खारिज कर दिया जाए। एन. सी. डी. आर. सी. ने इसी तरह के कई अन्य लोगों के साथ प्रतिवादी के शिकायत मामले की सुनवाई की।

प्रतिवादी द्वारा दायर शिकायत मामले में स्थित आवेदन और पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने के लिए धारा 8 के तहत दायर अन्य समान रूप से स्थित आवेदन। आयोग के एक विद्वान एकल सदस्य ने उक्त आवेदनों पर विचार करने के लिए आगे बढ़े और 31.08.2016 दिनांकित एक आदेश पारित किया। विद्वान एकल सदस्य का विचार था कि इन आवेदनों में शामिल कानूनी मुद्दे के महत्वपूर्ण महत्व और दूरगामी परिणाम को ध्यान में रखते हुए, यह उचित होगा कि इन आवेदनों पर कम से कम तीन सदस्यों वाली एक बड़ी पीठ द्वारा विचार किया जाए और निर्णय लिया जाए।

6. विद्वान एकल सदस्य के आदेश के अनुसरण में, ए

एन. सी. डी. आर. सी. की बड़ी पीठ का गठन किया गया था और 2016 के अंतरिम आवेदन संख्या 247 के साथ 2015 की उपभोक्ता शिकायत संख्या 701 के साथ-साथ अन्य शिकायतकर्ताओं द्वारा दायर अंतरिम आवेदनों की सुनवाई की गई और एन. सी. डी. आर. सी. के अध्यक्ष की अध्यक्षता में तीन सदस्यों की पीठ ने अपने दिनांक 1 के फैसले के माध्यम से निर्णय लिया। तीन सदस्यीय पीठ ने पक्षों की दलीलों पर विस्तार से विचार किया है और पैराग्राफ संख्या में निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंची है। 55 और 56:

" 55. पूर्ववर्ती चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम इस पर पहुँचते हैं - निम्नलिखित निष्कर्ष निकालते हैं: (i) वे विवाद जो विशिष्ट [2018] 14 एस. सी. आर. के लिए स्थापित वैधानिक अधिनियमों द्वारा न्यायनिर्णित और शासित किए जाने हैं।

किसी विशेष सार्वजनिक नीति की उप-सेवा करने का सार्वजनिक उद्देश्य मध्यस्थ नहीं है; (ii) कानूनी ब्रह्मांड के विशाल क्षेत्र हैं जो गैर-मध्यस्थ हैं और निजी विवाद से दूर रखे गए हैं।

संकल्प; (iii) विषय संशोधन एक पूरी तरह से अलग उद्देश्य के लिए था, जिससे यथास्थिति अपरिवर्तित रह गई और

(iv) मध्यस्थता अधिनियम की धारा 2 (3) अन्य विधानों के तहत उन योजनाओं को मान्यता देती है जो विवादों को गैर-मध्यस्थता योग्य बनाती हैं और (iv) उपभोक्ता अधिनियम और न्यायालय के समग्र ढांचे के आलोक में विकसित न्यायशास्त्र, धारा 8 की संशोधित उप-धारा (1) को अधिनियम के तहत गठित उपभोक्ता मंचों को मध्यस्थता समझौते के संदर्भ में पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने के लिए एक अधिदेश के रूप में नहीं माना जा सकता है। 56. नतीजतन, हम बिल्डर की ओर से तर्कों को बिना किसी हिचकिचाहट के खारिज करते हैं और मानते हैं कि शिकायतकर्ताओं और बिल्डर के बीच पूर्व में बताए गए प्रकार के समझौतों में एक मध्यस्थता खंड उपभोक्ता मंच के अधिकार क्षेत्र को सीमित नहीं कर सकता है, इसके बावजूद कि अधिनियम की धारा 8 में संशोधन किए गए हैं।

मध्यस्थता अधिनियम "।

7. तीन सदस्यों की पीठ द्वारा संदर्भ का उत्तर दिए जाने के बाद, 20156 की उपभोक्ता शिकायत संख्या 701 के साथ-साथ अन्य

आयोग के एकल सदस्य द्वारा आवेदन लिए गए थे और

1996 के अधिनियम की धारा 8 के तहत अपीलार्थी द्वारा दायर आवेदनों को खारिज कर दिया गया था। धारा 8 के तहत आवेदन को खारिज करने के बाद आयोग ने पक्षों को शिकायत के साथ आगे बढ़ने का निर्देश दिया। अपीलार्थी ने एन. सी. डी. आर. सी. के दिनांकित 13.07.2017 और 28.08.2017 के आदेशों को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में 2017 का एफ. ए. ओ. सं. 395 दायर किया। उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि 1996 के अधिनियम की धारा 37 (1) (ए) के तहत अपीलार्थी द्वारा दायर अपीलों को गलत तरीके से उच्च न्यायालय के समक्ष लाया गया है। उच्च न्यायालय ने अपीलों पर विचार करने से इनकार कर दिया और

उपयुक्त अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के लिए लौटाया गया। दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक आई. डी. 3 के फैसले के बाद, अपीलार्थी ने 2017 की सिविल अपील संख्या आई. डी. 4 दायर की, जिसमें एन. सी. डी. आर. सी. की बड़ी पीठ के दिनांक आई. डी. 2 के फैसले के साथ-साथ इस न्यायालय में आई. डी. 1 के परिणामी आदेश को चुनौती दी गई। दोनों अपीलों को 13.02.2018 पर सुनवाई के लिए बुलाया गया था और इस अदालत द्वारा खारिज कर दिया गया था। अपीलार्थी ने इस

न्यायालय के फैसले की समीक्षा के लिए ये पुनर्विचार याचिकाएं दायर की हैं। पुनर्विचार याचिकाओं में, अपीलार्थी द्वारा निम्नलिखित प्रार्थनाएँ की गई हैं:

एम/एस। ई. एम. ए. आर. एम. जी. एफ. लैंड लिमिटेड वी. आफताब सिंह [अशोक भूषण, जे.]

" (1) वर्तमान पुनरीक्षण याचिका को अनुमति दें और सिविल अपील में इस माननीय न्यायालय द्वारा पारित दिनांकित 13.02.2018 आदेश की समीक्षा करें।

2017 का सं. 23512-23513;

(2) सी. सी. 701/2015 में माननीय राष्ट्रीय आयोग की बड़ी पीठ द्वारा पारित दिनांक 13.07.2017 के आदेश को दरकिनार कर दें जिसमें उपभोक्ता विवादों को अन्य के बीच गैर-मध्यस्थ माना गया है।

समान गलत निष्कर्ष;

(3) सी. सी. 701/2015 में माननीय राष्ट्रीय आयोग के एकल न्यायाधीश द्वारा आवेदन यू/एस को खारिज करते हुए पारित दिनांक 28.08.2017 के आदेश को रद्द कर दें। 8 मध्यस्थता और

सुलह अधिनियम, 1996;

(4) और ऐसा अन्य या आगे का आदेश या आदेश पारित करें जो माननीय न्यायालय न्याय के हित में उचित और उचित समझे।

8. हमने अपीलार्थी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री फली एस. नरीमन और विद्वान वकील श्री आदित्य स्वरूप को सुना है।

प्रत्यर्थी संख्या 1 के लिए उपस्थित होना।

9. श्री फली एस. नरीमन समीक्षा के समर्थन में अपनी अनुकरणीय शैली में

याचिकाएं प्रस्तुत करती हैं कि वर्तमान समीक्षा याचिकाओं में कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए गए हैं, जिन्हें संबोधित करने और तय करने की आवश्यकता है यह न्यायालय। श्री नरीमन ने प्रस्तुत किया कि मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 द्वारा 1996 अधिनियम की धारा 8 में संशोधन के बाद

(2016 का अधिनियम 3), जिसके द्वारा संसद ने मध्यस्थता अधिनियम डब्ल्यू. ई. एफ. की धारा 8 में "उच्चतम न्यायालय या किसी भी न्यायालय के किसी भी निर्णय, डिक्री या आदेश के बावजूद" शब्द जोड़े थे, संसदीय इरादा स्पष्ट है कि उक्त संशोधन के बाद, न्यायिक प्राधिकरण को मध्यस्थता के लिए एक विवाद को संदर्भित करने के लिए अनिवार्य किया गया है यदि कोई वैध मध्यस्थता समझौता है और पक्षकार विवाद के सार पर अपना पहला बयान प्रस्तुत करने की तारीख से बाद में आवेदन नहीं करते हैं। वे प्रस्तुत करते हैं कि संशोधित धारा 8 की व्याख्या करते समय उपरोक्त शब्दों को अनावश्यक नहीं माना

जा सकता है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि यह न्यायालय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 23 के तहत एक अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य कर रहा है।

1996 के अधिनियम की धारा 37 (1) (ए) के साथ पढ़ने पर 1996 के अधिनियम की धारा 8 में किए गए संशोधन सहित हर तथ्य और कानून में जाने का कर्तव्य है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस न्यायालय की संविधान पीठ ने पहले ही यह अभिनिर्धारित किया है कि उपभोक्ता मंच 1996 के अधिनियम की धारा 8 के प्रयोजनों के लिए "न्यायिक प्राधिकरण" शब्द के अंतर्गत आते हैं, इसलिए आयोग के लिए यह अनिवार्य था कि वह मध्यस्थता [2018] 14 एस. सी. आर. को ध्यान में रखते हुए विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजे।

पक्षों के बीच खंड। एन. सी. डी. आर. सी. ने उपभोक्ता विवादों को गलत तरीके से गैर-मध्यस्थता करार दिया है, जो राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड बनाम एम. मधुसूदन रेड्डी मामले में इस न्यायालय के फैसले के विपरीत है।

और दूसरा, (2012) 2 एस. सी. सी. 506। इस न्यायालय ने "उच्चतम न्यायालय या किसी भी न्यायालय के किसी भी निर्णय, डिक्री या आदेश के बावजूद" शब्दों की व्याख्या 1996 के अधिनियम की नई जोड़ी गई धारा 11 (6ए) में डचूरो फेलगुएरा, एस. ए. बनाम में की थी। गंगावरम पोर्ट लिमिटेड, (2017) 9 एस. सी. सी. 729, जो व्याख्या 2016 के अधिनियम 3 द्वारा संशोधित धारा 8 पर समान रूप से लागू होती है। एन. सी. डी. आर. सी. ने ए. अय्यासामी बनाम ए. परमशिवम और अन्य, (2016) 10 एस. सी. सी. 386 में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा करने में गलती की है। 2016 के अधिनियम 3 द्वारा मध्यस्थता अधिनियम की धारा 8 में संशोधन अब न्यायिक प्राधिकरण के लिए सर्वोच्च न्यायालय या किसी भी न्यायालय के किसी भी निर्णय, डिक्री या आदेश के बावजूद विवादों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करना अनिवार्य बनाता है। इस प्रकार, 2016 के संशोधन से पहले धारा 8 की व्याख्या करने वाले इस न्यायालय के निर्णय पूरी तरह से अप्रासंगिक हो गए हैं और बाद में दायर धारा 8 के तहत आवेदन पर निर्णय लेते समय उनकी उपेक्षा की जानी चाहिए।

2016 संशोधन।

10. 1996 के अधिनियम की धारा 2 (3) का उल्लेख करते हुए यह कहा गया है कि यह उपभोक्ता संरक्षण के प्रावधान के कारण नहीं कहा जा सकता है।

अधिनियम, उपभोक्ता विवादों को मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 से दूर,

या तो स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ से कि उपभोक्ता विवादों को मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ऊपर) और रोज़डेल डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड (ऊपर) में वर्णित कानून स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि उपभोक्ता विवादों के मध्यस्थता की निश्चित रूप से परिकल्पना की गई है और उपभोक्ता में विचार किया गया है।

स्वयं संरक्षण अधिनियम, 1986,1996 अधिनियम की धारा 8 (1) के प्रतिस्थापन के माध्यम से संशोधन से पहले, यह शिकायतकर्ता के विकल्प पर था (जैसा कि अधिनियमित धारा 8 (1) के तहत) या तो मध्यस्थता समझौते में दिए गए प्रावधान के अनुसार मध्यस्थता में जाना या उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत शिकायत दर्ज करना। यह प्रस्तुत किया जाता है कि धारा 8 (1) के प्रतिस्थापन के बाद भी यह विकल्प अब उपलब्ध नहीं है, न्यायिक प्राधिकरण (एन. सी. डी. आर. सी.) के लिए पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करना अनिवार्य है "जब तक कि वह यह न पाए कि प्रथम दृष्टया कोई वैध मध्यस्थता समझौता मौजूद नहीं है"।

11. प्रत्यर्थी की ओर से पेश विद्वान वकील श्री आदित्य स्वरूप ने अपनी संक्षिप्त और प्रभावशाली प्रस्तुतियों में तर्क दिया कि उपभोक्ता अधिनियम, 1986 उपभोक्ता को उसके मेसर्स के त्वरित, त्वरित निपटान का लाभ उठाने के लिए एक अतिरिक्त और लाभकारी उपाय प्रदान करता है।

ई. एम. ए. आर. एम. जी. एफ. लैंड लिमिटेड वी. आफताब सिंह [अशोक भूषण, जे.]

विवाद। वर्तमान याचिका को अनुमति देने और विवादित आदेश को दरकिनार करने के परिणाम, अन्य बातों के साथ-साथ, यह होंगे कि प्रत्येक उपभोक्ता, चाहे विवाद कितना भी छोटा या बड़ा क्यों न हो, अब एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष अपने विवाद का निर्णय लेने के लिए मजबूर होगा और उसे प्रदान किए गए लाभकारी उपाय का लाभ नहीं उठाएगा। 1986 के अधिनियम के तहत। 1996 के अधिनियम पर अपीलार्थी द्वारा दी गई व्याख्या को स्वीकार करने का अर्थ उपभोक्ता न्यायशास्त्र की पूरी इमारत को ध्वस्त करना होगा, बल्कि न्यासों, किरायेदारी विवादों, औद्योगिक विवादों, दूरसंचार विवादों, बौद्धिक संपदा विवादों और अन्य गैर-मध्यस्थ विवादों से संबंधित न्यायशास्त्र को भी ध्वस्त करना होगा। शब्दों को दोहराते हुए

एन. सी. डी. आर. सी. ने यह प्रस्तुत किया है कि "धारा 8 (1) में संशोधन की लहरें इतनी बड़ी नहीं हो सकती हैं कि अन्य विधानों और न्यायशास्त्र के क्षेत्रों में पानी भर जाए, जो विशेष रूप से विधायकों और न्यायालयों द्वारा बड़ी मेहनत से बनाए गए हैं।

इन संबंधित कानूनों की नींव "। मध्यस्थता अधिनियम की धारा 2 (3) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मध्यस्थता अधिनियम का भाग 1 "उस समय लागू किसी अन्य कानून को प्रभावित नहीं करेगा जिसके आधार पर कुछ विवादों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित नहीं किया जा सकता है।" इस धारा के तहत, यदि कोई कानून या तो स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ द्वारा प्रदान करता है कि निर्दिष्ट विवादों को मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, तो इसके बावजूद कि

मध्यस्थता अधिनियम की धारा 5 में बाधा उपबंध, कानून को मध्यस्थता अधिनियम की धारा 2 (3) द्वारा संरक्षित किया जाएगा। मध्यस्थता अधिनियम की धारा 2 (3) मध्यस्थता अधिनियम की धारा 5 में स्पष्ट रूप से प्रबल प्रभाव को प्रतिबंधित करती है। उपभोक्ता अधिनियम विवादों के निपटारे के लिए एक अतिरिक्त उपाय देने के लिए अधिनियमित एक लाभकारी कानून होने के कारण, इसे 1996 के अधिनियम की धारा 8 द्वारा हटाया नहीं जा सकता है। इस न्यायालय ने अधिकार क्षेत्र के मामलों में पहले ही यह निर्णय दिया है कि मध्यस्थता अधिनियम उपभोक्ता अधिनियम के तहत विवादों का फैसला करने के लिए उपभोक्ता मंच के अधिकार क्षेत्र को बाहर नहीं करता है। 2016 के अधिनियम 3 द्वारा मध्यस्थता अधिनियम की धारा 8 (1) में संशोधन का उद्देश्य कभी भी उपभोक्ता विवादों को तय करने के लिए उपभोक्ता मंच के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप करना नहीं था। वह प्रस्तुत करता है कि

धारा 8 (1) में संशोधन को इस तरह से पढ़ा जा रहा है जो कभी नहीं था।

संसद की मंशा। वह प्रस्तुत करता है कि एन. सी. डी. आर. सी. ने अपीलार्थी द्वारा दायर धारा 8 के तहत आवेदन को सही ढंग से खारिज कर दिया है और इस अदालत द्वारा अपील को खारिज करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है, इसलिए, वर्तमान याचिकाएं खारिज होने योग्य हैं।

12. पक्षकारों के लिए विद्वान वकील की प्रस्तुतियों और पक्षकारों की दलीलों से निम्नलिखित प्रमुख मुद्दे हैं जो

इन याचिकाओं पर विचार किया जाना चाहिए:

(i) क्या एन. सी. डी. आर. सी. ने आवेदन को अस्वीकार करने में त्रुटि की है।

1996 के अधिनियम की धारा 8 के तहत दायर अपीलार्थी का, जिसमें मध्यस्थता खंड के अनुसार मध्यस्थ के संदर्भ के लिए प्रार्थना की गई है

बिल्डरों का समझौता?

((ii) क्या मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 द्वारा धारा 8 में किए गए संशोधनों के बाद अपीलार्थी द्वारा धारा 8 के तहत दायर आवेदन को धारा 8 की उप-धारा (1) में "उच्चतम न्यायालय या किसी भी न्यायालय के किसी भी निर्णय, डिक्री या आदेश के बावजूद" शब्दों को सम्मिलित करके वैधानिक योजना में लाए गए महत्वपूर्ण परिवर्तनों को देखते हुए खारिज नहीं किया जा सकता था?

(iii) क्या एन. सी. डी. आर. सी. के साथ-साथ इस न्यायालय ने उपरोक्त वैधानिक संशोधन को स्वीकार नहीं करने में त्रुटि की है, जिसने कानूनी स्थिति को पूरी तरह से बदल दिया है जैसा कि पहले था

उपरोक्त संशोधन?

((iv) चाहे शब्दों के सम्मिलन द्वारा "किसी भी शब्द के बावजूद"

(संशोधन) अधिनियम, 2015 की धारा 8 (1) के तहत उच्चतम न्यायालय या किसी भी न्यायालय के निर्णय, डिक्री या आदेश का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के निर्णय को समाप्त करना है, जिसमें कहा गया है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम विशेष उपाय होने के बावजूद इसे शुरू किया जा सकता है और जारी रखा जा सकता है।

पक्षों के बीच मध्यस्थता समझौता?

13. आपस में जुड़े सभी मुद्दों को एक साथ उठाया जा रहा है।

याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री फली एस. नरीमन का मुख्य जोर इस बात पर है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के संबंध में 1996 के अधिनियम से संबंधित संपूर्ण कानूनी व्यवस्था जब संशोधन के बाद देखी जाती है तो याचिकाकर्ता द्वारा रखी गई व्याख्या का पूरी तरह से समर्थन करती है जिसे एन. सी. डी. आर. सी. और इस न्यायालय द्वारा बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया गया है।

14. 2015 के अधिनियम द्वारा किए गए संशोधनों और इसके वास्तविक इरादे और परिणामों पर आने से पहले, मध्यस्थता समझौते के संदर्भ में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत कार्यवाही के संबंध में उक्त संशोधन से पहले मौजूद कानून पर गौर करना आवश्यक है।

1996 अधिनियम के तहत।

15. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 को उपभोक्ताओं के हितों की बेहतर सुरक्षा प्रदान करने और इस उद्देश्य के लिए उपभोक्ता परिषदों की स्थापना के लिए प्रावधान करने के लिए लागू किया गया है।

और उपभोक्ता विवादों के निपटारे के लिए और एम/एस के लिए अन्य प्राधिकरण।

ई. एम. ए. आर. एम. जी. एफ. लैंड लिमिटेड वी. आफताब सिंह [अशोक भूषण, जे.]

वे इसके साथ जुड़े हुए हैं। इस न्यायालय के पास लखनऊ विकास अधिनियम बनाम में अधिनियम के उद्देश्य और उद्देश्य पर विचार करने का अवसर था। एम. के. टा, (1994) 1 एस. सी. सी. 243, इस न्यायालय ने उद्देश्य पर विस्तार से ध्यान दिया

निम्नलिखित शब्दों में अधिनियम का उद्देश्य:

" अधिनियम की प्रस्तावना के साथ शुरुआत करने के लिए, जो विधायी इरादे का पता लगाने के लिए उपयोगी सहायता प्रदान कर सकता है, इसे 'उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए' अधिनियमित किया गया था। 'संरक्षण' शब्द का उपयोग अधिनियम के निर्माताओं के दिमाग की कुंजी प्रदान करता है। विभिन्न परिभाषाएँ और प्रावधान जो विस्तृत रूप से प्रयास करते हैं

इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए इस स्थिर दृष्टिकोण से अलग हुए बिना इस प्रकाश में समझा जाना चाहिए कि एक प्रस्तावना नियंत्रित नहीं कर सकती है।

अन्यथा किसी प्रावधान का स्पष्ट अर्थ। वास्तव में कानून आम आदमी को ऐसी गलतियों से बचाने की लंबे समय से महसूस की गई आवश्यकता को पूरा करता है, जिसके लिए विभिन्न कारणों से सामान्य कानून के तहत उपाय भ्रामक हो गया है। राज्य को हस्तक्षेप करने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने की अनुमति देने वाले विभिन्न कानून और विनियम प्रवर्तन के रूप में बेईमान लोगों के लिए एक पनाहगाह बन गए हैं।

मशीनरी या तो नहीं चलती है या यह अप्रभावी रूप से चलती है,

अक्षम रूप से और उन कारणों के लिए जिन्हें बताना आवश्यक नहीं है। अधिनियम का महत्व उपभोक्ता को बाजार अर्थव्यवस्था में सीधे भाग लेने में सक्षम बनाकर समाज के कल्याण को बढ़ावा देने में निहित है। यह उपभोक्ता की असहायता को दूर करने का प्रयास करता है। जिसका सामना वह शक्तिशाली व्यवसाय के खिलाफ करता है, जिसे 'रैकेटों का एक नेटवर्क' या एक ऐसे समाज के रूप में वर्णित किया गया है, जिसमें 'निर्माताओं ने' बाकी को लूटने 'के लिए शक्ति प्राप्त की है और सार्वजनिक निकायों की शक्ति जो हैं

निष्क्रियता के भंडार में पतित होना जहां कागजात कर्तव्य और जिम्मेदारी के रूप में एक मेज से दूसरी मेज पर नहीं जाते हैं, बल्कि आम आदमी को असहाय, हैरान और हैरान कर देते हैं। बीमारी इतनी व्यापक होती जा रही है,

व्यापक और गहरा है कि समाज इसे परेशान करने, शिकायत करने और इसके खिलाफ लड़ने के बजाय इसे जीवन के हिस्से के रूप में स्वीकार कर रहा है। इन अविश्वसनीय लेकिन कठोर वास्तविकताओं में अधिनियमन एक चांदी की परत प्रतीत होता है, जो समय के साथ सड़ांध को रोकने में सफल हो सकता है।"

16. अधिनियम की धारा 3 में प्रावधान किया गया है कि इस अधिनियम के प्रावधान उस समय लागू किसी अन्य प्रावधान के अतिरिक्त होंगे और उनका अपमान नहीं करेंगे। धारा 3 के उद्देश्य और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय सचिव, थिरुमुरुगन [2018] 14 एस. सी. आर.

सहकारी कृषि ऋण समिति बनाम एम. ललिता (मृत)

एलआर के माध्यम से। और अन्य, (2004) 1 एस. सी. सी. 395, पैराग्राफ 11 और 12 में निम्नलिखित निर्धारित किए गए हैं:

" 11. उद्देश्यों और कारणों के विवरण और 1986 के अधिनियम की योजना से यह स्पष्ट है कि अधिनियम का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ता के हित की बेहतर सुरक्षा प्रदान करना है

और उस उद्देश्य के लिए बेहतर निवारण, तंत्र प्रदान करना

जिसके माध्यम से उपभोक्ताओं को सस्ता, आसान, त्वरित और प्रभावी निवारण उपलब्ध कराया जाता है। अधिनियम के उद्देश्य को पूरा करने के लिए, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न अर्ध-न्यायिक मंचों की स्थापना की जाती है, जिनमें व्यापक शक्तियां निहित होती हैं। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए इन अर्ध-न्यायिक मंचों को एक विशिष्ट प्रकृति की राहत देने और पुरस्कार देने का अधिकार है। जहां भी उचित हो , उपभोक्ताओं को मुआवजा देना और उनके आदेशों का पालन न करने के लिए जुर्माना लगाना।

12. अधिनियम की धारा 3 के अनुसार, जैसा कि पहले ही ऊपर कहा जा चुका है, अधिनियम के प्रावधान उस समय लागू किसी अन्य कानून के किसी भी अन्य प्रावधान के अतिरिक्त होंगे और उनका अपमान नहीं करेंगे। अधिनियम की योजना और उपभोक्ताओं के हितों की बेहतर तरीके से रक्षा करने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, प्रावधानों की व्याख्या वर्तमान मामले के संदर्भ में व्यापक, सकारात्मक और उद्देश्यपूर्ण रूप से की जानी चाहिए ताकि अतिरिक्त/विस्तारित अधिकार क्षेत्र को अर्थ दिया जा सके, विशेष रूप से जब धारा 3 अन्य उपायों के अलावा अधिनियम के तहत उपचार प्रदान करने का प्रयास करती है। अन्य अधिनियमों के तहत प्रदान किया जाता है जब तक कि कोई स्पष्ट प्रतिबंध न हो।

17. इस अदालत को उपभोक्ता संरक्षण के संदर्भ में मध्यस्थता अधिनियम, 1940 की धारा 34 के प्रावधानों पर विचार करने का अवसर मिला था।

फेयर एयर इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड में अधिनियम, 1986। लिमिटेड और एक अन्य बनाम। एन. के. मोदी (1996) 6 एस. सी. सी. 385। उक्त मामले में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि उपभोक्ता मंच एक न्यायिक प्राधिकरण है। उपरोक्त मामले में, अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी के आवासीय घर में एक केंद्रीय वातानुकूलित संयंत्र की स्थापना करने के लिए प्रत्यर्थी के साथ एक अनुबंध किया था। प्रत्यर्थी ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत राज्य आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज की जो कार्यवाही करता है।

राज्य आयोग द्वारा रोक लगा दी गई और इसने पक्षकारों को मध्यस्थता कार्यवाही में भेज दिया। एन. सी. डी. आर. सी. ने अभिनिर्धारित किया कि उपभोक्ता मंचों के समक्ष कार्यवाही एक कानूनी कार्यवाही नहीं है और आयोग एक न्यायिक प्राधिकरण नहीं है, इसलिए मध्यस्थता अधिनियम, 1940 की धारा 34 मेसर्स नहीं है।

ई. एम. ए. आर. एम. जी. एफ. लैंड लिमिटेड वी. आफताब सिंह [अशोक भूषण, जे.]

कार्यवाही पर रोक लगाने में सक्षम। एन. सी. डी. आर. सी. का उक्त आदेश इस न्यायालय में दर्ज किया गया था। इस न्यायालय ने राज्य मिशन के आदेश को उलट दिया और कानून के अनुसार गुण-दोष पर निर्णय लेने के लिए मामले को राज्य आयोग को भेज दिया। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि संसद मध्यस्थता अधिनियम, 1940 के बारे में अच्छी तरह से जानती है जब उपभोक्ताअतिरिक्त उपचार प्रदान करने के लिए सी. टी. आई. एन. अधिनियम लागू किया गया था। परिच्छेदों में

घ 16 निम्नलिखित रूप में निर्धारित किया गया है:

" 15. तदनुसार, यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि उद्देश्य और उद्देश्य को प्रभावी बनाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों का व्यापक रूप से अर्थ लगाया जाना चाहिए।

अधिनियम से। यह देखा गया है कि धारा 3 में परिकल्पना की गई है कि अधिनियम के प्रावधान किसी अन्य के अतिरिक्त हैं और उनका अपमान नहीं कर रहे हैं।

लागू कानून। यह सच है, जैसा कि श्री सूरी ने ठीक ही कहा है कि "कुछ समय के लिए लागू किसी भी अन्य कानून के प्रावधानों के अपमान में" शब्दों को उचित अर्थ और प्रभाव दिया जाएगा और यदि शिकायत पर रोक नहीं लगाई जाती है और पक्षों को मध्यस्थता के लिए नहीं भेजा जाता है, तो अधिनियम का उद्देश्य मध्यस्थता अधिनियम के प्रावधानों का अपमान करना है। प्रथम दृष्टया, विवाद प्रशंसनीय प्रतीत होता है लेकिन अधिनियम के प्रावधानों के निर्माण और परिप्रेक्षय पर हम सोचते हैं कि विवाद अच्छी तरह से आधारित नहीं है। संसद मध्यस्थता अधिनियम और अनुबंध अधिनियम, 1872 के प्रावधानों और परिणामी उपचार से अवगत है।

सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 9 के तहत उपलब्ध है, अर्थात, सिविल क्षेत्राधिकार के एक सक्षम न्यायालय में सिविल कार्रवाई के अधिकार का लाभ उठाने के लिए।

फिर भी, अधिनियम अतिरिक्त उपाय प्रदान करता है।

16. इसलिए, यह स्पष्ट होगा कि विधायिका सहमति मध्यस्थता के अलावा एक उपाय प्रदान करने का इरादा रखती है जो सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत किसी मुकदमे में मध्यस्थता अधिनियम या दीवानी कार्रवाई के तहत लागू किया जा सकता है। इसके द्वारा, जैसा कि देखा गया है, अधिनियम की धारा 34 एक स्वचालित अधिकार प्रदान नहीं करती है और न ही अधिनियम के तहत न्यायिक प्राधिकरण द्वारा शक्ति के प्रयोग पर एक स्वचालित प्रतिबंध बनाती है। यह विवेक की बात है। इस दृष्टिकोण से विचार करते हुए, हमारा मानना है कि यद्यपि जिला मंच, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग न्यायिक प्राधिकरण हैं, मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के उद्देश्य के लिए, अधिनियम के उद्देश्य को देखते हुए और उसकी धारा 3 के संचालन द्वारा, हमारा विचार है कि यह उचित होगा कि अधिनियम के तहत बनाए गए ये मंच [2018] 14 एस. सी. आर. के बजाय अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मामलों को आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्र हैं।

पक्षकारों को मध्यस्थता कार्यवाही में उतारने की तुलना में पक्षों के बीच किए गए एक अनुबंध के लिए। इसका कारण यह है कि इस अधिनियम का उद्देश्य उपभोक्ताओं को बोझ से राहत देना है

मध्यस्थता कार्यवाही या दीवानी कार्रवाई जब तक कि मंच अपने दम पर और किसी विशेष मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों पर इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते हैं कि विवादों के निर्णय के लिए उपयुक्त मंच अन्यथा वे होंगे जो मध्यस्थता कार्यवाही या दीवानी कार्रवाई में दिए गए हैं। अधिनियम "।

18. इस न्यायालय के पास उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के साथ-साथ मध्यस्थता अधिनियम, 1996 के प्रावधानों पर विचार करने का अवसर था। स्काईपैक कोरियर्स में

लिमिटेड वी. टाटा केमिकल्स, (2000) 5 एस. सी. सी. 294, इस न्यायालय ने निम्नलिखित निर्धारित किया:

" भले ही किसी समझौते में मध्यस्थता खंड मौजूद हो और

उपभोक्ता द्वारा सेवा की एक निश्चित कमी के संबंध में शिकायत की जाती है, तो मध्यस्थता खंड का अस्तित्व उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत गठित निवारण एजेंसी द्वारा शिकायत के मनोरंजन के लिए बाधा नहीं होगा, क्योंकि अधिनियम के तहत प्रदान किया गया उपाय उस समय लागू किसी अन्य कानून के प्रावधानों के अतिरिक्त है।

19. एक अन्य निर्णय जो वर्तमान मुद्दे के लिए प्रासंगिक है, वह है राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड बनाम एम. मधुसूदन रेड्डी। और दूसरा, (2012) 2 एस. सी. सी. 506। उपरोक्त मामले में, प्रत्यर्थी ने जिला उपभोक्ता निवारण मंच में शिकायत दर्ज कराई कि अपीलार्थी द्वारा बेचे गए/आपूर्ति किए गए बीज दोषपूर्ण होने के कारण फसलों की विफलता/कम उपज के कारण उन्हें नुकसान हुआ था। मुआवजा दिया गया था जिसके खिलाफ अपील खारिज कर दी गई थी। अपीलार्थी ने आयोग के आदेश को चुनौती दी और मुख्य तर्क यह था कि जिला मंच को शिकायत पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, बीज अधिनियम, 1966 के प्रावधानों को देखते हुए यह तर्क दिया गया कि समझौते में मध्यस्थता खंड निहित था और प्रतिवादी के लिए उपलब्ध एकमात्र उपाय एक उचित मध्यस्थता है और जिला मंच के पास कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।

शिकायत पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र। इस अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया और याचिका को खारिज कर दिया। पैराग्राफ 64 में इस न्यायालय ने अपीलार्थी के तर्क पर ध्यान दिया था जो निम्नलिखित प्रभाव से है:

" 64. अपीलार्थी के विद्वान वकील के अनुसार, यदि उत्पादकों ने मध्यस्थता के लिए आवेदन किया था तो धारा 8 के संदर्भ में मध्यस्थता और सुलह अधिनियम में मध्यस्थता खंड से उत्पन्न होने वाले विवाद को एक उपयुक्त मध्यस्थ एम/एस के पास भेजा जाना था।

और जिला उपभोक्ता मंच उनकी शिकायत पर विचार करने के हकदार नहीं थे। यह तर्क अपीलार्थी की मुख्य आपत्ति के विस्तार का प्रतिनिधित्व करता है कि किसानों और उत्पादकों के लिए एकमात्र उपाय उपलब्ध है जो अपीलार्थी द्वारा बेचे गए/आपूर्ति किए गए दोषपूर्ण बीजों के उपयोग के कारण नुकसान होने का दावा करते हैं।

बीज अधिनियम की धारा 19 और/या 21 के तहत कार्रवाई करने के लिए संबंधित बीज निरीक्षकों के साथ शिकायत दर्ज करना था।

20. विवाद को पैराग्राफ 66 में निपटाया गया था जहां निम्नलिखित निर्धारित किया गया था:

" 66. एक उत्पादक के लिए मध्यस्थता का उपाय ही एकमात्र उपाय नहीं है। बल्कि, यह एक वैकल्पिक उपचार है। वह या तो खोज सकता है

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत मध्यस्थ को संदर्भित करना या शिकायत दर्ज करना। यदि उत्पादक मध्यस्थता के उपाय का विकल्प चुनता है, तो यह कहना संभव हो सकता है कि वह बाद में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज नहीं कर सकता है। हालाँकि, यदि वह सक्षम उपभोक्ता मंच के समक्ष पहली बार में शिकायत दर्ज करने का विकल्प चुनता है, तो उसे मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 8 का आह्वान करके राहत से वंचित नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 3 की सरल भाषा यह स्पष्ट करती है कि उस अधिनियम में उपलब्ध उपाय उस समय लागू किसी अन्य कानून के प्रावधानों के अतिरिक्त है और उनका अपमान नहीं है।

21. एक अन्य निर्णय जिसमें इस न्यायालय ने कानून की स्थिति को दोहराया, वह है रोज़डेल डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम अघोर। भट्टाचार्य और अन्य, (2018) 11 एस. सी. सी. 337 (06.09.2013 पर निर्णय लिया गया)। उपरोक्त मामले में, प्रतिवादी द्वारा एन. सी. डी. आर. सी. के समक्ष एक शिकायत दर्ज की गई थी। अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना करते हुए एक आवेदन दायर किया गया था

मध्यस्थता समझौते को ध्यान में रखते हुए मध्यस्थ को निर्देश देना। इस मुद्दे को पैराग्राफ 1 और 2 में देखा गया है जो निम्नलिखित प्रभाव वाले हैं:

“ 1. देरी को माफ कर दिया गया। यह अपील 2013 (2013 एस. सी. सी. ऑनलाइन नेद्रे 486, डी. एल. एफ. लिमिटेड बनाम। मृदुल एस्टेट (पी) Ltd.338b) राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (संक्षेप में "राष्ट्रीय आयोग") द्वारा पारित किया गया, जिसके तहत मध्यस्थ को संदर्भित करने के लिए अपीलार्थी की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया गया था, उचित रूप से मुकदमे का एक तुच्छ टुकड़ा कहा जा सकता है जो सीमा पर बर्खास्तगी के अलावा कुछ भी नहीं है।

अनुकरणीय लागत के साथ।

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2. प्रत्यर्थियों ने अपीलार्थी की ओर से सेवा में कमी का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज की और 1,00,000 रुपये की लागत के साथ 17,41,09,000 रुपये के मुआवजे का दावा किया। राष्ट्रीय आयोग द्वारा नोटिस किए जाने पर, अपीलार्थी ने शिकायत का विरोध करने के लिए एक लिखित बयान दायर किया। इसने मध्यस्थ को संदर्भित करने के लिए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (संक्षेप में "1996 अधिनियम") की धारा 8 के तहत एक आवेदन भी दायर किया। एक दो-सदस्य राष्ट्रीय आयोग की पीठ ने इस मामले को

बड़ी बेंच। प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों पर विचार करने के बाद

और फेयर एयर इंजीनियर्स (पी) लिमिटेड में निर्णयों सहित कई निर्णयों का विज्ञापन करना। एन. के. मोदी स्काइपैक कोरियर्स लिमिटेड बनाम।

टाटा केमिकल्स लिमिटेड और नेशनल सीड्स कार्पोरेशन। लिमिटेड वी. एम.

मधुसूदन रेड्डी, राष्ट्रीय परिषद की बड़ी पीठ

आयोग ने अभिनिर्धारित किया कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (संक्षेप में "1986 अधिनियम") के तहत गठित उपभोक्ता मंच शिकायत में उठाए गए विवाद को मध्यस्थता खंड के संदर्भ में मध्यस्थता न्यायाधिकरण को भेजने के लिए बाध्य नहीं हैं।

पक्षों के बीच समझौता।

22. इस न्यायालय के समक्ष यह तर्क उठाया गया था कि एक बार

1996 के अधिनियम की धारा 8 के तहत आवेदन दायर किया जाता है, उपभोक्ता मंच मध्यस्थ को एक संदर्भ देने के लिए बाध्य है। उपरोक्त प्रस्तुतिकरण पैराग्राफ 3 में देखा गया है जो निम्नलिखित प्रभाव से है:

पटेल एंग। लिमिटेड के साथ-साथ एग्री गोल्ड एक्जिम्स लिमिटेड में भी निर्णय। श्री लक्ष्मी बुनाई और बुनाई और मैग्मा लीजिंग और फाइनेंस लिमिटेड v. पोटलुरी माधविलता ने तर्क दिया कि एक बार

1996 के अधिनियम की धारा 8 के तहत आवेदन दायर किया गया है, उपभोक्ता मंच मध्यस्थ को संदर्भित करने के लिए कर्तव्यबद्ध है क्योंकि

वह खंड चरित्र में अनिवार्य है।

23. इस न्यायालय ने उपरोक्त निवेदन को खारिज कर दिया और इसमें निर्धारित किया

ग्राफ 4:

" 4. हमारी राय में, विद्वान वकील के प्रस्तुत करने में कोई योग्यता नहीं है। यह प्रश्न कि क्या पक्षों के बीच निष्पादित समझौते में निहित मध्यस्थता खंड का अस्तित्व उपभोक्ता मंच के अधिकार क्षेत्र को बाहर करता है और किसी भी पक्ष द्वारा किए गए आवेदन पर, उपभोक्ता मंच एक एम/एस बनाने के लिए कर्तव्य-बाध्य है।

ई. एम. ए. आर. एम. जी. एफ. लैंड लिमिटेड वी. आफताब सिंह [अशोक भूषण, जे.]

राष्ट्रीय बीज निगम में मध्यस्थ के संदर्भ पर व्यापक रूप से विचार किया गया था। लिमिटेड वी. एम. मधुसूदन रेड्डी और यह था देखा गया: (एससीसी पीपी। 534-35 , पैरा 64-66.) "

24. इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि वकील के उपरोक्त प्रस्तुतिकरण में कोई योग्यता नहीं है। इस न्यायालय ने नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (उपरोक्त) और फेयर एयर इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड में इस न्यायालय के फैसलों का उल्लेख किया। लिमिटेड (ऊपर) और पैराग्राफ 6 और 7 में निम्नलिखित निर्धारित किया गया है:

" 6. श्री घोष द्वारा जिन निर्णयों पर भरोसा किया गया है, उनका इस अपील में उठाए गए मुद्दे पर कोई असर नहीं है। उन मामलों में से किसी में भी, इस न्यायालय ने 1996 के अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या नहीं की है

1986 के अधिनियम में निहित प्रावधानों का प्रकाश। इसलिए, उन निर्णयों में दिए गए प्रस्तावों कि 1996 के अधिनियम की धारा 8 अनिवार्य है, से यह निष्कर्ष नहीं निकल सकता है कि उपभोक्ता मंच मध्यस्थ का संदर्भ देने के लिए बाध्य है।

न्यायाधिकरण।

7. निरस्त कानूनी स्थिति को देखते हुए, राष्ट्रीय

आयोग ने यह अभिनिर्धारित करके कोई त्रुटि नहीं की कि उपाय

शिकायतकर्ता के लिए उपलब्ध मध्यस्थता उपभोक्ता मंचों के अधिकार क्षेत्र को बाधित नहीं करती है और उपभोक्ता मंच मामले को मध्यस्थ न्यायाधिकरण को भेजने के लिए बाध्य नहीं हैं।

उपरोक्त अवलोकन के साथ, अपील खारिज कर दी जाती है।

25. इस न्यायालय ने उपरोक्त निर्णयों की श्रृंखला में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के साथ-साथ मध्यस्थता अधिनियम, 1996 के प्रावधानों पर विचार किया और निर्धारित किया कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत शिकायत एक विशेष उपाय है, मध्यस्थता समझौता होने के बावजूद उपभोक्ता मंच के समक्ष कार्यवाही जारी रखनी होगी और

आवेदन को अस्वीकार करने पर उपभोक्ता मंच द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई। उपभोक्ता के तहत कार्यवाही में हस्तक्षेप नहीं करने का कारण है अधिनियम, 1996 द्वारा एक मध्यस्थता समझौते के बल पर संरक्षण अधिनियम। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपचार किसी भी वस्तु या सेवा में खराबी होने पर उपभोक्ता को प्रदान किया जाने वाला उपचार है। शिकायत का मतलब है कि शिकायतकर्ता द्वारा लिखित रूप में किया गया कोई भी आरोप

अधिनियम की धारा 2 (सी) में समझाया गया है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपचार उपभोक्ता द्वारा शिकायत तक सीमित है जैसा कि अधिनियम के तहत परिभाषित किया गया है, एक सेवा प्रदाता के कारण होने वाले दोष या कमियों के लिए।

और उपभोक्ता को एक त्वरित उपाय प्रदान किया गया है जो अधिनियम का उद्देश्य और उद्देश्य है जैसा कि ऊपर देखा गया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

26. न केवल उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की कार्यवाहियां विशेष कार्यवाहियां हैं जिन्हें इसके तहत जारी रखने की आवश्यकता थी

एक मध्यस्थता समझौते के बावजूद अधिनियम, बड़ी संख्या में अन्य क्षेत्र हैं जहां एक मध्यस्थता समझौता न तो कार्यवाही को रोक सकता है और न ही बाधित कर सकता है। उदाहरण के लिए, किसी पक्ष की किसी भी कार्रवाई, किसी व्यक्ति की चूक या कमीशन जो एक अपराध के बराबर है, की जांच आपराधिक अदालत द्वारा की जानी चाहिए और पक्षकारों के बीच समझौते की कोई राशि उक्त मामले के लिए प्रासंगिक नहीं होगी। उदाहरण के लिए, दो पक्षों के बीच एक वाणिज्यिक समझौता हो सकता है कि लेनदेन से संबंधित सभी मुद्दों को समझौते में मध्यस्थता खंड के अनुसार मध्यस्थता द्वारा तय किया जाना है। ऐसे मामले में जहां लेनदेन में एक पक्ष द्वारा चेक का अनादर किया जाता है, मध्यस्थता समझौते के बावजूद पीड़ित पक्ष को आपराधिक अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। इसी तरह, ऐसे कई मुद्दे हैं जो गैर-मध्यस्थ हैं। मध्यस्थता समझौते के आधार पर किसी विवाद का निर्णय नहीं लेने के लिए स्पष्ट या निहित दोनों तरह का प्रतिबंध हो सकता है। इस न्यायालय के पास उपरोक्त पहलू पर विचार करने का अवसर था और उसने विभिन्न विवादों पर ध्यान दिया है जो गैर-मध्यस्थ हैं, बूज़ एलन और हैमिल्टन इंक बनाम हैमिल्टन इंक में इस न्यायालय के फैसले का संदर्भ दिया गया है। एस. बी. आई. होम फाइनेंस लिमिटेड और अन्य,

(2011) 5 एससीसी 532। पैराग्राफ 35 से 38 में निम्नलिखित उल्लेख किया गया है:

" 35. मध्यस्थ न्यायाधिकरण निजी मंच हैं जिन्हें विवाद के पक्षों द्वारा स्वेच्छा से चुना जाता है, ताकि वे देश के कानूनों के तहत गठित अदालतों और न्यायाधिकरणों के स्थान पर अपने विवादों का निर्णय ले सकें। प्रत्येक नागरिक या वाणिज्यिक विवाद, या तो

या तो स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ द्वारा बहिष्कृत। निर्णय कार्यवाहियों की कुछ श्रेणियों को विधायिका द्वारा सार्वजनिक नीति के मामले में विशेष रूप से सार्वजनिक मंचों के लिए आरक्षित किया जाता है। कुछ अन्य श्रेणियों के मामले, हालांकि सार्वजनिक मंचों (न्यायालयों और न्यायाधिकरणों) द्वारा निर्णय के लिए स्पष्ट रूप से आरक्षित नहीं हैं, आवश्यक रूप से

निहितार्थ निजी मंचों के दायरे से बाहर है। नतीजतन, जहां कारण/विवाद अविवेकी है, वह न्यायालय जहां एक मुकदमा लंबित है, अधिनियम की धारा 8 के तहत पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने से इनकार कर देगा, भले ही पक्षकार ऐसे विवादों के निपटारे के लिए मध्यस्थता पर सहमत हुए हों।

एम/एस। ई. एम. ए. आर. एम. जी. एफ. लैंड लिमिटेड वी. आफताब सिंह [अशोक भूषण, जे.]

36. गैर-मध्यस्थ विवादों के अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त उदाहरण हैं: (i) अधिकारों और देनदारियों से संबंधित विवाद जो आपराधिक अपराधों को जन्म देते हैं या उत्पन्न होते हैं; (ii) संबंधित वैवाहिक विवाद तलाक, न्यायिक अलगाव, वैवाहिक अधिकारों की बहाली, बाल अभिरक्षा; (iii) संरक्षकता के मामले; (iv) दिवाला और मामलों को समाप्त करना; (v) वसीयती मामले (प्रोबेट का अनुदान, प्रशासन के पत्र और उत्तराधिकार प्रमाण पत्र); और (vi) बेदखली या किरायेदारी के मामले विशेष कानूनों द्वारा शासित होते हैं जहां किरायेदार को बेदखली के खिलाफ वैधानिक संरक्षण प्राप्त होता है और केवल निर्दिष्ट

अदालतों को बेदखली देने या विवादों का फैसला करने का अधिकार क्षेत्र दिया जाता है।

37. यह देखा जा सकता है कि ऊपर उल्लिखित मामले आर. ई. एम. में कार्रवाई से संबंधित हैं। आर. ई. एम. में अधिकार एक ऐसा अधिकार है जो बड़े पैमाने पर दुनिया के खिलाफ प्रयोग किया जा सकता है, जैसा कि व्यक्तिगत रूप से अधिकार से विपरीत है जो केवल विशिष्ट व्यक्तियों के खिलाफ संरक्षित एक हित है। व्यक्तिगत रूप से किए गए कार्य अधिकारों और हितों को निर्धारित करने वाले कार्यों को संदर्भित करते हैं। मामले के विषय-वस्तु में स्वयं पक्षकार, जबकि आर. ई. एम. में कार्रवाई संपत्ति के स्वामित्व को निर्धारित करने वाली कार्रवाइयों को संदर्भित करती है।

और पक्षकारों के अधिकार, न केवल आपस में बल्कि उन सभी व्यक्तियों के खिलाफ भी जो किसी भी समय इसमें रुचि का दावा करते हैं।

संपत्ति। तदनुसार, व्यक्तिगत रूप से एक निर्णय किसी व्यक्ति के खिलाफ एक निर्णय को संदर्भित करता है जो किसी चीज़, अधिकार या स्थिति के खिलाफ निर्णय से अलग है और आरईएम में एक निर्णय एक निर्णय को संदर्भित करता है जो संपत्ति की स्थिति या स्थिति को निर्धारित करता है जो काम करता है।

सीधे संपत्ति पर ही। (ब्लैक लॉ डिक्शनरी के माध्यम से।)

38. आम तौर पर और पारंपरिक रूप से व्यक्तिगत रूप से अधिकारों से संबंधित सभी विवादों को मध्यस्थता के लिए उत्तरदायी माना जाता है और निजी मध्यस्थता के लिए अनुपयुक्त होने के कारण अधिकारों से संबंधित सभी विवादों पर अदालतों और सार्वजनिक न्यायाधिकरणों द्वारा निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। हालाँकि यह एक कठोर या कठोर नियम नहीं है। आर. ई. एम. में अधिकारों से उत्पन्न व्यक्ति में अधीनस्थ अधिकारों से संबंधित विवाद हैं

हमेशा मध्यस्थ माना जाता है।

27. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत दायर की गई शिकायतों को किसी भी मध्यस्थता समझौते के बावजूद आगे बढ़ाया जा सकता है, जैसे कि पक्ष जिन्हें ऊपर देखे गए आयनों के समूह द्वारा अच्छी तरह से निपटाया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

28. अब, जिस मुद्दे पर ध्यान दिया जाना है वह है प्रभाव और परिणाम

मध्यस्थता के परिणामस्वरूप कानून की उपरोक्त स्थिति और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 की धारा 8 में संशोधन। अधिनियम, 1996 की धारा 8 (1) और 8 (2) (जैसा कि अधिनियम, 1996 के संशोधन से पहले मौजूद थी) इस प्रकार हैं:

मध्यस्थता के लिए। (2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट आवेदन पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि वह मूल मध्यस्थता के साथ न हो।

समझौता या उसकी विधिवत प्रमाणित प्रति।

29. अधिनियम, 2015 द्वारा संशोधन के बाद धारा 8 (1) और 8 (2) इस प्रकार हैं -

निम्नलिखित है:

" धारा 8 (1) एक न्यायिक प्राधिकरण, जिसके समक्ष एक ऐसे मामले में कार्रवाई की जाती है जो एक मध्यस्थता समझौते का विषय है, यदि मध्यस्थता समझौते का कोई पक्ष या उसके माध्यम से या उसके तहत दावा करने वाला कोई व्यक्ति, इस तरह से लागू होता है।

विवाद के सार पर अपना पहला बयान प्रस्तुत करते हुए, फिर, सर्वोच्च न्यायालय या किसी भी न्यायालय के किसी भी निर्णय, डिक्री या आदेश के बावजूद, पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए तब तक भेजें जब तक कि वह न पाए

कि प्रथम दृष्टया कोई वैध मध्यस्थता समझौता मौजूद नहीं है।

(2) निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्: — " बशर्ते कि जहां मूल मध्यस्थता समझौता या प्रमाणित प्रति हो

इसका उप-धारा (1) के तहत मध्यस्थता के संदर्भ के लिए आवेदन करने वाले पक्ष के पास उपलब्ध नहीं है और उक्त समझौते या प्रमाणित प्रति उस समझौते के दूसरे पक्ष द्वारा रखी जाती है।

तब, इस प्रकार आवेदन करने वाला पक्ष मध्यस्थता समझौते की एक प्रति और एक याचिका के साथ ऐसा आवेदन दायर करेगा जिसमें न्यायालय से अनुरोध किया जाएगा कि वह दूसरे पक्ष से उस न्यायालय के समक्ष मूल मध्यस्थता समझौते या इसकी विधिवत प्रमाणित प्रति पेश करने के लिए कहे। . "

30. इन मुद्दों पर विचार करने के लिए आगे बढ़ने से पहले 1996 के अधिनियम के दो और प्रावधानों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। 1996 के अधिनियम में दो शामिल हैं - भाग-भाग I और भाग II। भाग I में "मध्यस्थता" शीर्षक है और भाग II में "कुछ विदेशी पुरस्कारों का प्रवर्तन" शीर्षक है।

एम/एस। ई. एम. ए. आर. एम. जी. एफ. लैंड लिमिटेड वी. आफताब सिंह [अशोक भूषण, जे.]

भाग I का अध्याय I "सामान्य प्रावधान" है, जिसमें धारा 2 से संबंधित है।

परिभाषाओं के साथ। धारा 2 (1) "इस भाग में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यकता न हो" शब्दों के साथ शुरू होती है। धारा 2 (1) में परिभाषाएँ हैं। धारा 2 (3) प्रदान करती है:

" धारा 2 (3) यह भाग कुछ समय के लिए किसी अन्य कानून को प्रभावित नहीं करेगा जिसके आधार पर कुछ विवाद नहीं हो सकते हैं।

मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत किया गया "।

31. धारा 2 की योजना में दो पहलुओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए, सबसे पहले, धारा 2 में एक शीर्षक "परिभाषाएँ" है लेकिन यह अध्याय I "सामान्य प्रावधानों" के सामान्य शीर्षक द्वारा कवर किया गया है। धारा 2 (3) करता है इसमें कोई परिभाषा नहीं है, लेकिन इसमें एक सामान्य प्रावधान है जो स्पष्ट करता है कि "यह भाग उस समय लागू किसी अन्य कानून को प्रभावित नहीं करेगा जिसके आधार पर कुछ विवादों को मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है"। धारा 2 (3) उस समय लागू किसी अन्य कानून की प्रधानता प्रदान करती है जिसके आधार पर कुछ विवादों को प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है।

मध्यस्थता।

32. हम पहले ही कई श्रेणियों के मामलों को नोट कर चुके हैं, जो मध्यस्थ नहीं हैं। बूज़ में इस न्यायालय के फैसले का उल्लेख करते हुए

ऐलन और हैमिल्टन इंक. (ऊपर), उन सिद्धांतों को इस न्यायालय द्वारा ए. अय्यासामी (ऊपर) में फिर से दोहराया गया है, डॉ. ए. के. सीकरी, जे. ने उस मामले में निर्णय देते हुए कुछ मामलों पर ध्यान दिया है, जो पैराग्राफ No.14 में मध्यस्थ नहीं हैं, जो इस प्रकार है:

" 14. तत्काल मामले में, मध्यस्थता समझौते के बारे में कोई विवाद नहीं है क्योंकि साझेदारी विलेख में एक विशिष्ट मध्यस्थता खंड है। हालाँकि, सवाल यह है कि क्या वाद में प्रतिवादी द्वारा उठाया गया विवाद असमर्थ है

मध्यस्थता के माध्यम से निपटान। जैसा कि ऊपर बताया गया है, अधिनियम किसी भी श्रेणी के विवादों को गैर-मध्यस्थता के रूप में मानते हुए उन्हें छोड़कर कोई प्रावधान नहीं करता है। उपरोक्त के बावजूद, अदालतों ने माना है कि कुछ प्रकार के विवाद सक्षम नहीं हो सकते हैं

मध्यस्थता के माध्यम से न्यायनिर्णयन। अदालतों ने माना है कि सार्वजनिक प्रकृति के आपराधिक अपराध, अवैध समझौतों से उत्पन्न होने वाले विवाद और स्थिति से संबंधित विवाद, जैसे तलाक, जैसे कुछ विवादों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित नहीं किया जा सकता है। द.

निम्नलिखित श्रेणियों के विवादों को आम तौर पर गैर-मध्यस्थ माना जाता है:

((ग) दिवाला/परिसमापन; ((iv) रिश्वतखोरी/भ्रष्टाचार;

(v) धोखाधड़ी;

((vi) आपराधिक मामले। धोखाधड़ी एक ऐसी श्रेणी है जिसे इस न्यायालय के निर्णयों द्वारा स्पष्ट किया गया है जहां विवादों को गैर-मध्यस्थ माना जाएगा।"

33. डॉ. न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़, जे. अपनी सहमति वाली राय में

बूज़ ऐलन और हैमिल्टन इंक. (ऊपर) को संदर्भित किया गया और उन मामलों पर ध्यान दिया गया, जो मध्यस्थ नहीं हैं। का अनुच्छेद संख्या 35

डीगमेंट को नीचे उद्धृत किया गया है:

" 35. आम तौर पर प्रत्येक दीवानी या वाणिज्यिक विवाद, चाहे वह अनुबंध पर आधारित हो या अन्यथा, जो एक दीवानी अदालत द्वारा तय किया जा सकता है, सिद्धांत रूप में मध्यस्थता समझौते द्वारा शासित होने वाले विवाद के अधीन मध्यस्थता द्वारा निर्णय लेने और हल करने में सक्षम है, जब तक कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण की अधिकारिता को या तो स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ द्वारा बाहर नहीं किया जाता है। बूज़ ऐलन और हैमिल्टन इंक. बनाम। एस. बी. आई. होम फाइनेंस लिमिटेड,

इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि (एस. सी. सी. पी. में। 546, पैरा 35) कार्यवाहियों की कुछ श्रेणियों का निर्णय विधायिका द्वारा सार्वजनिक नीति के मामले में विशेष रूप से सार्वजनिक मंचों के लिए आरक्षित है। कुछ अन्य श्रेणियों के मामले, हालांकि विशेष रूप से अदालतों और न्यायाधिकरणों द्वारा निर्णय के लिए आरक्षित नहीं हैं, आवश्यक निहितार्थ से बाहर हो सकते हैं निजी मंचों का कार्यक्षेत्र। इस न्यायालय ने गैर-मध्यस्थता विवादों के कुछ उदाहरण दिए जैसे कि: (एससीसी पीपी। 546-47 , पैरा 36)

(i) अधिकारों और देनदारियों से संबंधित विवाद जो आपराधिक अपराधों को जन्म देते हैं या उत्पन्न होते हैं; ((ii) तलाक, न्यायिक अलगाव से संबंधित वैवाहिक विवाद,

वैवाहिक अधिकारों और बाल अभिरक्षा की बहाली;

((ग) संरक्षकता के मामले;

((iv) दिवाला और परिसमापन;

(v) वसीयती मामले, जैसे प्रोबेट का अनुदान, के पत्र

प्रशासन और उत्तराधिकार प्रमाण पत्र; और एम/एस।

(vi) बेदखली या किरायेदारी के मामले विशेष कानूनों द्वारा शासित होते हैं जहां एक किरायेदार को बेदखली के खिलाफ विशेष सुरक्षा प्राप्त होती है और

न्यायालयों को इससे निपटने के लिए विशेष अधिकार क्षेत्र प्रदान किया जाता है

विवाद।

इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि कार्यों का यह वर्ग रेम में संचालित होता है, जो है एक ऐसा अधिकार जो व्यापक रूप से दुनिया के खिलाफ प्रयोग किया जा सकता है, जो व्यक्तिगत रूप से एक अधिकार के विपरीत है जो एक ऐसा हित है जो निर्दिष्ट व्यक्तियों के खिलाफ संरक्षित है। व्यक्तिगत रूप से अधिकारों से संबंधित सभी विवाद

मध्यस्थता के लिए उत्तरदायी माना जाता है जबकि आर. ई. एम. में अधिकारों को अदालतों और सार्वजनिक न्यायाधिकरणों द्वारा निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। बंधक के प्रवर्तन को आर. ई. एम. में एक अधिकार माना गया है जिसके लिए मध्यस्थता में कार्यवाही बनाए रखने योग्य नहीं होगी। विमल किशोर शाह बनाम। जयेश दिनेश शाह, (2016) 8 एस. सी. सी. 788 इस न्यायालय ने बूज़ एलन में निर्धारित छह गैर-मध्यस्थता श्रेणियों में मामलों की सातवीं श्रेणी को जोड़ा, अर्थात्, न्यास विलेख से उत्पन्न होने वाले न्यासों, न्यासियों और लाभार्थियों से संबंधित विवाद और

ट्रस्ट अधिनियम "।

34. एक अन्य धारा, जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, वह धारा 5 है, जो इस प्रकार है:

" खंड 5. न्यायिक हस्तक्षेप का विस्तार। इसके बावजूद तत्काल प्रवृत्त किसी अन्य विधि में निहित कोई भी बात, इस भाग द्वारा शासित मामलों में, कोई न्यायिक प्राधिकारी हस्तक्षेप नहीं करेगा।

सिवाय इसके जहाँ इस भाग में ऐसा उपबंध किया गया हो।

8 , धारा 11 और धारा 34 कुछ प्रावधान हैं, जो मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप का प्रावधान करते हैं। यहाँ, हम धारा 8 के तहत न्यायिक प्राधिकरण की शक्ति से संबंधित हैं, इसलिए धारा 5 ज्यादा प्रासंगिक नहीं है। वर्तमान मामले में।

36. अब, हम 2016 के अधिनियम संख्या 3 द्वारा संशोधित धारा 8 की व्याख्या पर वापस आते हैं। धारा 8 में संशोधन लाने में विधायी इरादा और उद्देश्य क्या है, इस मामले में मुख्य प्रश्न का उत्तर दिया जाना है। संसद द्वारा 246 वें विधि आयोग की रिपोर्ट (2014) को ध्यान में रखते हुए धारा 8 के तहत संशोधन किया गया है। 1996 के अधिनियम के कार्यकरण को ध्यान में रखते हुए, 1996 के अधिनियम में कुछ संशोधन करने का पहले प्रयास किया गया था। 176 मध्यस्थता और [2018] 14 एस. सी. आर. पर विधि आयोग की रिपोर्ट।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सुलह (संशोधन) विधेयक, 2001 "आयोग द्वारा प्रस्तुत किया गया था, हालांकि, सरकार ने सिफारिशों को स्वीकार करने का निर्णय लिया और" मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2003 "नामक एक विधेयक पेश किया, विधेयक को आगे के विश्लेषण के लिए कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय पर स्थायी समिति से संबंधित विभाग को भेजा गया, जिसमें कहा गया कि विधेयक के कई प्रावधान अपर्याप्त थे इसलिए विधेयक को वापस ले लिया गया। विधि और न्याय मंत्रालय ने एक परामर्श पत्र जारी किया और विधि आयोग से 1996 के अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों का अध्ययन करने को कहा। विधि आयोग ने अगस्त में मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 में 246 वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की। 2014. आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि "मध्यस्थता की कार्यवाही में न्यायिक हस्तक्षेप मध्यस्थता प्रक्रिया में देरी को काफी बढ़ाता है और अंततः मध्यस्थता के लाभों को नकारता है"। संशोधनों का उल्लेख करते हुए आयोग, जिनकी अनुभाग 8 और 11 में सिफारिश की गई थी

पैराग्राफ नंबर 33 में निम्नलिखित कहा गया हैः

" 33. इस संदर्भ में आयोग ने सिफारिश की है

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 8 और 11 में संशोधन। न्यायिक हस्तक्षेप का दायरा केवल उन स्थितियों तक सीमित है जहां न्यायालय/न्यायिक प्राधिकरण को पता चलता है कि मध्यस्थता समझौता मौजूद नहीं है या अमान्य है। जहाँ तक हस्तक्षेप की प्रकृति का संबंध है, यह अनुशंसा की जाती है कि यदि न्यायालय/न्यायिक प्राधिकरण मध्यस्थता समझौते को चुनौती देने वाले तर्क के खिलाफ प्रथम दृष्टया संतुष्ट हो जाता है, तो वह मध्यस्थ की नियुक्ति करेगा और/या पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए भेजेगा, जैसा भी मामला हो। संशोधन में परिकल्पना की गई है कि न्यायिक प्राधिकरण पक्षकारों को केवल तभी मध्यस्थता के लिए नहीं भेजेगा जब वह पाएगा कि कोई मध्यस्थता समझौता मौजूद नहीं है या यह अमान्य है। यदि न्यायिक प्राधिकारी की राय है कि प्रथम दृष्टया

मध्यस्थता समझौता मौजूद है, फिर यह विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करेगा, और मध्यस्थता समझौते का अस्तित्व छोड़ देगा।

अंततः मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाना। हालांकि, अगर न्यायिक प्राधिकरण यह निष्कर्ष निकालता है कि समझौता मौजूद नहीं है, तो निष्कर्ष अंतिम होगा और प्रथम दृष्टया नहीं। .....

37. धारा 8 में संशोधन के साथ-साथ उस पर टिप्पणी पर आयोग की रिपोर्ट में एक टिप्पणी है, जो निम्नलिखित प्रभाव से हैः

" [नोटः शब्द "पक्षकारों के. मध्यस्थता के लिए

सुकन्या मेसर्स मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले के संदर्भ में समझौते और संशोधन के प्रावधान (i) का प्रस्ताव किया गया है।

ई. एम. ए. आर. एम. जी. एफ. लैंड लिमिटेड वी. आफताब सिंह [अशोक भूषण, जे.]

होल्डिंग्स प्रा. लिमिटेड वी. जायेश एच. पांड्या और अन्र।, (2003) 5 एस. सी. सी. 531,-ऐसे मामलों में जहां विवाद के सभी पक्ष मध्यस्थता समझौते के पक्षकार नहीं हैं, संदर्भ को केवल तभी अस्वीकार किया जाना चाहिए जब ऐसे पक्ष कार्रवाई के लिए आवश्यक पक्षकार हों-और तब नहीं जब वे केवल उचित पक्षकार हों, या अन्यथा कार्रवाई के लिए कानूनी अजनबी हों और केवल मध्यस्थता को दरकिनार करने के लिए जोड़ा गया हो।

समझौता। संशोधन के प्रावधान (ii) में दो पर विचार किया गया है। विचार करते समय न्यायिक प्राधिकारी द्वारा अपनाई जाने वाली कदम प्रक्रिया

एक लंबित कार्रवाई के संदर्भ की मांग करने वाला आवेदन

मध्यस्थता। संशोधन में परिकल्पना की गई है कि न्यायिक प्राधिकरण

पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए केवल तभी संदर्भित नहीं किया जाएगा जब यह पाया जाए कि कोई मध्यस्थता समझौता मौजूद नहीं है या यह अमान्य है।

यदि न्यायिक प्राधिकारी की राय है कि प्रथम दृष्टया

मध्यस्थता समझौता मौजूद है, तो यह विवाद को संदर्भित करेगा

मध्यस्थता, और मध्यस्थता समझौते का अस्तित्व छोड़ दें

अंततः मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाना। हालांकि, अगर न्यायिक प्राधिकरण यह निष्कर्ष निकालता है कि समझौता मौजूद नहीं है, तो निष्कर्ष अंतिम होगा और प्रथम दृष्टया नहीं। संशोधन में यह भी परिकल्पना की गई है कि इस बारे में एक निर्णायक निर्धारण होगा -

क्या मध्यस्थता समझौता अमान्य है।] "

(iii) उप-धारा (2) में, "विधिवत प्रमाणित प्रतिलिपि" शब्दों के बाद "जोड़ें" या एक शपथ पत्र के साथ एक प्रति जो दूसरे को बुलाती है। मूल मध्यस्थता समझौते या विधिवत प्रमाणित करने के लिए पक्षकार

उस परिस्थिति में उसकी प्रतिलिपि जहाँ मूल मध्यस्थता समझौता या विधिवत प्रमाणित प्रति केवल दूसरे के पास ही रखी जाती है।

पार्टी "।

[नोटः सरकारी निकायों से जुड़े कई लेनदेनों में और बाजार के छोटे खिलाड़ी, मूल/विधिवत प्रमाणित प्रति

मध्यस्थता समझौता केवल पूर्व द्वारा बनाए रखा जाता है। यह संशोधन यह सुनिश्चित करेगा कि बाद वाला वर्ग उसी के आधार पर किसी भी तरह से पूर्वाग्रहित न हो।] "

38. आयोग ने धारा (6ए) जोड़कर धारा 11 में संशोधन का प्रस्ताव रखा। अपनी रिपोर्ट में निम्नलिखित टिप्पणी प्रस्तुत की गई थी - ई संदर्भः

" [नोटः प्रस्तावित धारा 11 (6ए) में इसी की परिकल्पना की गई है।

निर्धारण की प्रक्रिया जैसा कि प्रस्तावित में परिलक्षित होती है

धारा 8 में संशोधन। स्पष्टीकरण 2 में उस संदर्भ की परिकल्पना की गई है

उच्च न्यायालय द्वारा उसके द्वारा नामित किसी भी व्यक्ति या संस्थान को [2018] 14 एस. सी. आर.

न्यायिक शक्ति के प्रत्यायोजन के रूप में नहीं माना जाएगा। स्पष्टीकरण 3 इस उम्मीद और अपेक्षा के साथ जोड़ा गया है कि उच्च न्यायालय पक्षों को विवादों को संस्थागत बनाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे

एक पेशेवर भारतीय या अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ द्वारा मध्यस्थता

संस्थान।] " 39. कानून की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद

मिशन, एक विधेयक जिसका नाम है "मध्यस्थता और सुलह"अंत) विधेयक, 2015 "प्रस्तुत किया गया था। विधेयक के उद्देश्यों और कारणों का विवरण संशोधनों के उद्देश्यों और उद्देश्यों पर काफी प्रकाश डालता है। वस्तुओं के कथन का प्रासंगिक भाग

कारण इस प्रकार हैं:

" 2. इस अधिनियम को कम से कम अदालत के हस्तक्षेप के साथ मध्यस्थता से संबंधित मामलों के त्वरित निपटान का प्रावधान करने के लिए अधिनियमित किया गया था। समय बीतने के साथ, अधिनियम की प्रयोज्यता में कुछ कठिनाइयाँ देखी गई हैं। कुछ मामलों में अदालतों द्वारा अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या के परिणामस्वरूप मध्यस्थता के निपटारे में देरी हुई है। कार्यवाही और मध्यस्थता में न्यायालयों के हस्तक्षेप में वृद्धि

विषय, जो उद्देश्य को पराजित करने की प्रवृत्ति रखते हैं

एक्ट करें।

6. XXXXXXXXXXXXXXXXX ((iv) किसी भी आवेदन पर विचार करते समय यह प्रावधान करना कि -

मध्यस्थ की नियुक्ति, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय प्रथम दृष्टया मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व की जांच करेगा। और अन्य मुद्दे नहीं;

XXXXXXXXXXXXXX "

40. धारा 8 में संशोधन पर खंडों पर टिप्पणियाँ इस प्रकार हैं -

वीएस:

" विधेयक के खंड 4 में मूल अधिनियम की धारा 8 में संशोधन करने का प्रयास किया गया है ताकि यह निर्दिष्ट किया जा सके कि न्यायिक प्राधिकरण पक्षों को निर्दिष्ट करेगा -

मध्यस्थता जब तक यह नहीं पाता कि प्रथम दृष्टया कोई वैध मध्यस्थता नहीं है समझौता बाहर निकलता है। उप-धारा (2) के नीचे एक परंतुक जोड़ा गया है

यह प्रावधान करें कि जहां मूल मध्यस्थता समझौता या उसकी प्रमाणित प्रति उस पक्ष के पास उपलब्ध नहीं है जो उप के तहत आवेदन करता है धारा (1), और दूसरे पक्ष द्वारा बनाए रखा जाता है, ऐसा पक्ष निम्नलिखित आवेदन के साथ मध्यस्थता समझौते की एक प्रति दाखिल करेगा।

उप-धारा (1) न्यायालय से अनुरोध करती है कि वह दूसरे पक्ष को एम/एस को बुलाए।

न्यायालय के समक्ष मूल मध्यस्थता समझौता या इसकी विधिवत प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करें।

41. उप-धारा (6ए) अंत:स्थापित करके धारा 11 में संशोधन पर निम्नलिखित कहा गया था:

" विधेयक का खंड 6 मूल अधिनियम की धारा 11 में संशोधन करने का प्रयास करता है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि मध्यस्थ की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बजाय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा की जाएगी। उप-धारा (64) को यह प्रावधान करने के लिए जोड़ा गया है कि उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय उप-धारा (4) से (6) के तहत आवेदन पर विचार करते समय मध्यस्थता की परीक्षा तक ही सीमित रहेगा।

समझौता...

42. उपरोक्त संशोधन से पहले, इस न्यायालय ने कई मामलों में धारा 8 की व्याख्या की है। शक्ति का प्रयोग करने के लिए कई शर्तें

इस न्यायालय द्वारा धारा 8 निर्धारित की गई थी। पी. आनंद गजपति राजू में

और अन्य बनाम। पी. वी. जी. राजू (मृत) और अन्य, (2000) 4 एस. सी. सी. 539, इस न्यायालय द्वारा कई शर्तों पर ध्यान दिया गया था, जिन्हें न्यायालय द्वारा धारा 8 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करने से पहले संतुष्ट किया जाना है। पैराग्राफ नंबर 5 में निम्नलिखित कहा गया है:

" 5. जिन शर्तों को उप के तहत पूरा किया जाना आवश्यक है न्यायालय के समक्ष धारा 8 की धारा (1) और (2) का प्रयोग किया जा सकता है -

शक्तियाँ इस प्रकार हैं:

(1) एक मध्यस्थता समझौता है;

(2) समझौते का एक पक्ष दूसरे पक्ष के खिलाफ अदालत में कार्रवाई करता है;

(3) क्रिया का विषय-पदार्थ विषय-पदार्थ के समान होता है।

मध्यस्थता समझौते का;

(4) दूसरा पक्ष इस विषय पर अपना पहला बयान प्रस्तुत करने से पहले पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने के लिए अदालत का रुख करता है विवाद से।

XXXXXXXXXXX "

43. फैसले के पैराग्राफ नंबर 8 में आगे कहा गया था कि धारा 8 की भाषा अनिवार्य है और इसलिए यह अनिवार्य है। न्यायालय द्वारा पक्षकारों को उनके मध्यस्थता के संदर्भ में मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने के लिए

समझौता।

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

44. सुकन्या होल्डिंग्स (पी) लिमिटेड में। बनाम. जयेश एच. पांड्या और

उनके, (2003) 5 एस. सी. सी. 531, इस न्यायालय को धारा 8 के प्रावधानों पर विचार करने का अवसर मिला। इस न्यायालय ने कुछ परिस्थितियों पर ध्यान दिया, जहाँ

इसे मध्यस्थ न्यायाधिकरण को भेजे जाने की आवश्यकता नहीं थी। में। ग्राफ संख्या 12,13 और 15 निम्नलिखित आयोजित किया गया है:

" 12. ....

इसके अलावा, मामले को संदर्भित करने की आवश्यकता नहीं है

मध्यस्थ न्यायाधिकरण को, यदि: (1) मध्यस्थता के पक्षकार

समझौते ने संदर्भित करने के लिए ऐसा कोई आवेदन दायर नहीं किया है

विवाद; या (3) ऐसा आवेदन मूल के साथ नहीं है मध्यस्थता

समझौता या विधिवत प्रमाणित प्रति

वहाँ से।

13. दूसरा, अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जब विषय

वाद के मामले में मध्यस्थता का विषय शामिल है। समझौते के साथ-साथ अन्य विवादों, मामले की आवश्यकता है

मध्यस्थता के लिए संदर्भित। विभाजन का भी कोई प्रावधान नहीं है

कारण या पक्षकारों और मुकदमे के विषय-वस्तु को निर्दिष्ट करना

मध्यस्थ।

15. धारा 8 में उपयोग की जाने वाली प्रासंगिक भाषा है: जिस मामले में

पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने की आवश्यकता। इसलिए, सूट होना चाहिए "एक मामले" के संबंध में हो जिस पर पक्षों ने सहमति व्यक्त की है

संदर्भित करें और जो मध्यस्थता समझौते के दायरे में आता है।

हालाँकि, जहाँ एक मुकदमा शुरू किया जाता है-"एक मामले के रूप में" जो

यह मध्यस्थता समझौते से बाहर है और कुछ के बीच भी है।

पक्षकार जो मध्यस्थता समझौते के पक्षकार नहीं हैं,

धारा 8 के लागू होने का कोई सवाल ही नहीं है। शब्द "ए" मामला "इंगित करता है कि मुकदमे का पूरा विषय-मामला होना चाहिए

मध्यस्थता समझौते के अधीन हो "।

45. अदालत ने आगे कहा कि धारा 8 व्याख्या को स्वीकार नहीं करती है

विवादों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करना। पैराग्राफ No.16 में,

पंख बिछाए गए थे:

" 16. अगला प्रश्न जिस पर विचार करने की आवश्यकता है वह है-भले ही

क्या अधिनियम की धारा 8 के तहत ऐसा पाठ्यक्रम संभव है। में। हमारा विचार है कि धारा 8 एम/एस की व्याख्या करना मुश्किल होगा।

ई. एम. ए. आर. एम. जी. एफ. लैंड लिमिटेड वी. आफताब सिंह [अशोक भूषण, जे.]

जिसके तहत कार्रवाई के कारण का विभाजन, अर्थात,

वाद का विषय या कुछ मामलों में वाद का विभाजन

अन्य संभव हैं। यह पूरी तरह से नया होगा। अधिनियम के तहत प्रक्रिया पर विचार नहीं किया गया है। यदि दो भागों में

विषय-एक मुकदमे के मामले पर विचार किया गया था, विधायिका होगी

इस तरह के पाठ्यक्रम की अनुमति देने के लिए उचित भाषा का उपयोग किया है। तब से

भाषा में ऐसा कोई संकेत नहीं है, यह विभाजन का अनुसरण करता है

इसकी अनुमति नहीं है "।

46. उपरोक्त मामलों में इस न्यायालय द्वारा घोषित कानून में था

जब विधि आयोग ने अपनी 246वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की और संसद ने संशोधन अधिनियम, 2016 के लिए विधेयक, 2015 पर विचार किया। विधि आयोग ने स्वयं अपनी रिपोर्ट में सुकन्या होल्डिंग्स (पी) लिमिटेड (उपर्युक्त) में इस न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में धारा 8 में संशोधन का उल्लेख किया है, जिसे धारा 8 के नोट में स्पष्ट रूप से देखा गया था जैसा कि ऊपर निकाला गया है। धारा 8 में संशोधन द्वारा जोड़े गए शब्द "सर्वोच्च न्यायालय या किसी भी न्यायालय के किसी भी निर्णय, डिक्री या आदेश के बावजूद" मध्यस्थता समझौते के संदर्भ में न्यायिक प्राधिकरण के हस्तक्षेप को कम करने के इरादे से थे। संशोधित धारा 8 (1) के अनुसार, न्यायिक प्राधिकरण को केवल इस प्रश्न पर विचार करना है कि क्या पक्षों के पास एक वैध मध्यस्थता समझौता है? न्यायालय पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने से तब तक इनकार नहीं कर सकता जब तक कि वह यह नहीं पाता कि प्रथम दृष्टया कोई वैध मध्यस्थता नहीं है।

समझौता मौजूद है "। संशोधित प्रावधान, इस प्रकार, हस्तक्षेप को सीमित करता है

न्यायिक प्राधिकरण द्वारा केवल एक पहलू के लिए, अर्थात न्यायिक प्राधिकरण द्वारा संदर्भित करने से इनकार करना केवल एक पहलू तक सीमित है, जब यह पाता है कि प्रथम दृष्टया कोई वैध मध्यस्थता समझौता मौजूद नहीं है। संशोधन से पहले की गई विभिन्न घोषणाओं में इस अदालत द्वारा देखी गई अन्य कई शर्तों का पालन नहीं किया जाना था और पी. आनंद गजपति राजू (ऊपर) और सुकन्या होल्डिंग्स (पी) लिमिटेड (ऊपर) के फैसले में देखी गई विभिन्न शर्तों को पूरा करने से विधायी इरादा स्पष्ट रूप से अलग था। उसी विधायी आशय को उप-धारा (6ए) को जोड़कर धारा 11 में संशोधन करके समझा जा सकता है। धारा 11 (6ए) इस प्रकार है:

11. मध्यस्थों की नियुक्ति।

XXXXXX

XXXXXX

[(6(क) उच्चतम न्यायालय या, जैसा भी मामला हो, उच्च न्यायालय,

उप-धारा (4) या उप [2018] 14 एस. सी. आर. के तहत किसी भी आवेदन पर विचार करते समय।

धारा (5) या उप-धारा (6), किसी भी निर्णय के बावजूद,

मध्यस्थता समझौते का अस्तित्व। 47. समान शब्द "किसी भी निर्णय, डिक्री या आदेश के बावजूद।

किसी भी न्यायालय का आदेश धारा 11 की उप-धारा (6ए) में पाया जाता है और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व की जांच तक ही सीमित है। इस न्यायालय के पास डचूरो फेलगुएरा, एस. ए. (ऊपर) में धारा 11 (6ए) में किए गए संशोधन पर विचार करने का अवसर था। न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ ने पैराग्राफ नंबर 48 में अपनी सहमति में निम्नलिखित राय दी है:

" 48. 2015 के संशोधन द्वारा जोड़ी गई धारा 11 (6-ए) इस प्रकार है - निम्नलिखित है:

उच्च न्यायालय, उप-धारा के तहत किसी भी आवेदन पर विचार करते समय (4) या उप-धारा (5) या उप-धारा (6), इसके बावजूद,

किसी भी न्यायालय का कोई निर्णय, डिक्री या आदेश, मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व की जांच "।

(जोर दिया गया)

धारा 11 (6-ए) के पढ़ने से, विधायिका का इरादा

क्या यह स्पष्ट है यानी अदालत को केवल एक पर गौर करना चाहिए और इसकी आवश्यकता है

पहलू-एक मध्यस्थता समझौते का अस्तित्व। क्या हैं?

यह तय करने के लिए कारक कि क्या कोई मध्यस्थता समझौता है

अगला सवाल है। इसका समाधान सरल है-इसकी आवश्यकता है

यह देखा जाए कि क्या समझौते में एक खंड है जो प्रदान करता है

के बीच उत्पन्न हुए विवादों से संबंधित मध्यस्थता

समझौते के पक्षकार "। 48. 1996 के अधिनियम की धारा 8 में भी संशोधन किया गया।

अमित लालचंद शाह और अन्य बनाम ऋषभ एंटरप्राइजेज और अन्य, ए. आई. आर. 2018 एस. सी. 3041: (2018) 6 स्केल 621: 2018 एससीसी ऑनलाइन एससी 487। इस न्यायालय ने संशोधित धारा 8 के उद्देश्य और उद्देश्य पर ध्यान दिया। पैराग्राफ नंबर 29 से 31 में निम्नलिखित उल्लेख किया गया है:

" 29. " धारा 8 (1) में मुख्य रूप से चार संशोधन किए गए हैं - 2015 के संशोधनों द्वारा प्रस्तुत-(i) प्रासंगिक "पक्ष" जो

मध्यस्थता के संदर्भ की मांग करने के लिए आवेदन करने का हकदार है

एम/एस के माध्यम से या उसके तहत दावा करने वाले व्यक्तियों को शामिल करने के लिए स्पष्ट/प्रवर्धित।

मध्यस्थता समझौते का ऐसा पक्षकार; (ii) न्यायिक प्राधिकारी द्वारा जाँच का दायरा इस निष्कर्ष तक सीमित है कि क्या "कोई वैध मध्यस्थता समझौता मौजूद नहीं है" और न्यायिक प्राधिकारी द्वारा जाँच की प्रकृति को "प्रथम दृष्टया" आधार पर स्पष्ट किया जाता है; (iii) कट-ऑफ तिथि जिसके द्वारा धारा 8 के तहत एक आवेदन प्रस्तुत किया जाना है, का अर्थ "विवाद के सार पर पहला बयान प्रस्तुत करने की तारीख" के रूप में परिभाषित किया गया है; और (iv) संशोधनों को किसी भी पूर्व न्यायिक मिसाल के बावजूद लागू करने के लिए व्यक्त किया जाता है। धारा 8 (2) के प्रावधान को एक ऐसे पक्ष को अनुमति देने के लिए जोड़ा गया है जिसके पास मध्यस्थता समझौते की मूल या प्रमाणित प्रति नहीं है क्योंकि इसे मध्यस्थ द्वारा बनाए रखा जा रहा है।

अन्य पक्ष, फिर भी धारा 8 के तहत आवेदन करने के लिए

संदर्भ दें, और दूसरे पक्ष को उसी को प्रस्तुत करने के लिए कहें।

(संदर्भः न्यायमूर्ति आर. एस. बचावत का मध्यस्थता का कानून और

सुलह, छठा संस्करण, खंड। पृष्ठ 695 पर I (धारा 1 से 34)

लेक्सिसनेक्सिस द्वारा प्रकाशित)।

31. अधिनियम की धारा 8 में संशोधन की भाषा स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 8 (1) में संशोधन किसी भी अनुरोध, निर्णय, डिक्री या आदेश के बावजूद लागू होगा।

उच्चतम न्यायालय या कोई अन्य न्यायालय। उच्च न्यायालय ने इस शब्द पर जोर दिया ". जब तक कि वह यह न पाए कि प्रथम दृष्टया कोई वैध समझौता मौजूद नहीं है"। उच्च न्यायालय ने कहा कि कोई नहीं है

एस्टनफील्ड और ऋषभ के बीच मध्यस्थता समझौता। सुकन्या होल्डिंग्स और संशोधित धारा 8 का उल्लेख करने के बाद और

अधिनियम की धारा 45, उच्च न्यायालय ने अधिनियम की धारा 8 और धारा 45 की भाषा में अंतर की ओर इशारा किया। उच्च न्यायालय ने सुकन्या होल्डिंग्स और क्लोरो कंट्रोल्स के बीच अंतर किया और कहा कि सुकन्या होल्डिंग्स को क्लोरो कंट्रोल्स द्वारा खारिज नहीं किया गया था।

49. इस प्रकार, इस न्यायालय ने उपरोक्त मामलों में ध्यान दिया है कि

संशोधनों को किसी भी पूर्व न्यायिक पूर्ववर्ती के बावजूद लागू करने के लिए व्यक्त किया जाता है, लेकिन धारा 8 (1) के तहत संशोधन का दायरा सीमित था। तीन श्रेणियों के लिए जैसा कि अनुच्छेद No.29 में उल्लेख किया गया है। इस प्रकार, धारा 8 के तहत संशोधनों का उद्देश्य मध्यस्थता के संदर्भ को अस्वीकार करने के लिए न्यायिक प्राधिकरण के दायरे को कम करना था और केवल इस आधार पर संदर्भ को अस्वीकार किया जा सकता था कि यह प्रथम दृष्टया पाता है कि कोई वैध मध्यस्थता समझौता

मौजूद नहीं है। धारा 8 (1) के तहत निर्दिष्ट किसी भी पूर्व न्यायिक पूर्ववर्ती के बावजूद उन न्यायिक
[2018] 14 एस. सी. आर. से संबंधित है।

पूर्ववर्ती, जिन्होंने धारा 8 के तहत शक्ति का प्रयोग करते समय विभिन्न पहलुओं की जांच करने के लिए न्यायिक प्राधिकरण के विवेकाधिकार और शक्ति की व्याख्या की। 50. विधायी आशय और उद्देश्य केवल उपरोक्त पहलुओं तक ही सीमित थे और उन पहलुओं पर नहीं थे, जहां कुछ विवादों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने की आवश्यकता नहीं थी। क्या यह कहा जा सकता है कि इसके बाद

धारा 8 (1) के तहत संशोधन, धारा 2 (3) के संदर्भ में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून, जहां बड़ी संख्या में श्रेणियों को गैर-मध्यस्थ माना गया है, को उलट दिया गया है या शून्य कर दिया गया है। न तो ऐसा कोई विधानमंडल इरादा था और न ही ऐसा कोई परिणाम माना गया था कि धारा 2 (3) के संदर्भ में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को नजरअंदाज या उलट दिया जाना चाहिए।

51. अधिनियम, 1996 की धारा 8 (1) के तहत संशोधन करते समय, अतिरिक्त उपचार/विशेष उपचार प्रदान करने वाले कानूनों पर विचार नहीं किया गया था। विधायी इरादा स्पष्ट है कि धारा 8 के संदर्भ में न्यायिक प्राधिकरण द्वारा क्षेत्राधिकार अभ्यास के संबंध में मध्यस्थता से इनकार करने का न्यायिक प्राधिकरण का विवेकाधिकार न्यूनतम था। संशोधन का उद्देश्य विशेष या अतिरिक्त उपचारों को समाप्त करना था जो किसी भी सामग्री से समझने योग्य नहीं हैं। विधि आयोग की 246वीं रिपोर्ट, विधेयक के कथन और उद्देश्य और खंडों पर टिप्पणियों से यह संकेत नहीं मिलता है कि विभिन्न कानूनों के तहत प्रदान किए गए विशेष/अतिरिक्त उपायों को ओवरराइड करने के लिए संशोधन किए गए थे। यदि याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वकील द्वारा दी गई व्याख्या को स्वीकार कर लिया जाता है, तो धारा 8 को विभिन्न विशेष/अतिरिक्त क्षेत्राधिकारों के संदर्भ में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को ओवरराइड करने के लिए पढ़ा जाना चाहिए, जैसा कि इसमें उल्लेख किया गया है।

बूज़ ऐलन और हैमिल्टन इंक. (ऊपर) में इस न्यायालय का निर्णय जो कभी भी धारा 8 में संशोधन का इरादा नहीं था।

52. धारा 8 में संशोधन को इतना व्यापक अर्थ और इरादा नहीं दिया जा सकता है कि विशेष विधानों की पूरी व्यवस्था को जलमग्न कर दिया जाए जहां ऐसे विवाद मध्यस्थता योग्य नहीं थे। कुछ ऐसा जो कानून का इरादा कभी नहीं था, उसे तय किए गए कानून को ओवरराइड करने के लिए साइड विंड के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। याचिकाकर्ता का निवेदन कि संशोधन के बाद इस न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय बीज निगम में निर्धारित कानून

कि न्यायिक प्राधिकारी धारा 8 के तहत निर्देश देते समय मध्यस्थता समझौते के विभिन्न पहलुओं पर गौर करने का हकदार होगा, बशर्ते कि मध्यस्थता का मामला चाहे दावा जीवित हो या मृत, चाहे एम/एस।

ई. एम. ए. आर. एम. जी. एफ. लैंड लिमिटेड वी. आफताब सिंह [अशोक भूषण, जे.]

मध्यस्थता समझौता अमान्य है। धारा 8 में जोड़े गए शब्द

इसका कोई अन्य अर्थ नहीं हो सकता है। विमल किशोर शाह और अन्य बनाम जयेश दिनेश शाह और अन्य, (2016) 8 एस. सी. सी. 788 में इस न्यायालय के फैसले का भी संदर्भ दिया गया है। उपरोक्त मामले में इस न्यायालय को न्यास अधिनियम, 1882 के तहत प्रदान किए गए विशेष उपाय के संदर्भ में अधिनियम, 1996 की धारा 8 के प्रावधानों पर विचार करने का अवसर मिला था। इस न्यायालय ने बूज़ एलन में इस न्यायालय के फैसले पर ध्यान दिया और

हैमिल्टन इंक. (ऊपर) पैराग्राफ 40 और 42 में अनुमोदन के साथ जो निम्नलिखित प्रभाव से है:

" 40. न्यास अधिनियम, 1882 की योजना की जांच करने से पहले, हम मामले के कानून पर ध्यान देना उचित समझते हैं, जिसका इस मुद्दे पर प्रभाव पड़ता है। सवाल विचार के लिए आया

बूज़ ऐलन एंड हैमिल्टन इंक. बनाम में इस न्यायालय के समक्ष। एस. बी. आई होम

फाइनेंस लिमिटेड "मध्यस्थता" शब्द का क्या अर्थ है और दूसरा, किस प्रकार के विवाद अधिनियम के तहत मध्यस्थता द्वारा निपटान करने में सक्षम हैं। उनके प्रभुता ने तीन प्रश्नों को तैयार किया

प्रश्न का उत्तर देने के लिए। : (एस. सी. सी पी. 546, पैरा 34)

(1)

क्या उनकी प्रकृति को ध्यान में रखते हुए विवाद हो सकते हैं

पक्षकारों (मध्यस्थ न्यायाधिकरण) द्वारा चुने गए एक निजी मंच द्वारा हल किया जाएगा या क्या ऐसे विवाद विशेष रूप से सार्वजनिक मंचों (अदालतों) के अधिकार क्षेत्र में आते हैं? ;

क्या विवाद मध्यस्थता के दायरे में आते हैं

(2)

समझौता? ; और

क्या पक्षों ने विवादों को संदर्भित किया है

(3)

मध्यस्थ? "

42. इस अपील में विचार किया जाने वाला प्रश्न यह है कि क्या न्यास के मामलों और प्रबंधन से संबंधित विवाद जिसमें न्यासियों, लाभार्थियों के बीच उत्पन्न होने वाले विवाद शामिल हैं -

उनकी नियुक्ति, शक्तियाँ, कर्तव्य, दायित्व, निष्कासन आदि अधिनियम के प्रावधानों का सहारा लेकर मध्यस्थता के माध्यम से निपटाने में सक्षम हैं, यदि उस प्रभाव के लिए न्यास विलेख में कोई खंड है या ऐसे विवादों का निर्णय न्यास अधिनियम, 1882 के तहत उक्त अधिनियम के तहत निर्धारित मंच की सहायता से किया जाना है?

53. उपरोक्त मामले में उत्पन्न हुए मुद्दों पर ध्यान देने के बाद इस न्यायालय ने पैराग्राफ 51 और 53 में निम्नलिखित निर्धारित किया:

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 51. व्याख्या का सिद्धांत कि जहां एक विशिष्ट उपचार दिया जाता है, यह उस व्यक्ति को वंचित कर देता है जो क़ानून द्वारा दिए गए उपचार के अलावा किसी अन्य प्रकार के उपचार पर जोर देता है, वह है जो बहुत परिचित है, और जो कानून के माध्यम से चलता है, अपनाया गया था।

इस न्यायालय द्वारा प्रीमियर ऑटोमोबाइल लिमिटेड बनाम कमलेकर

शांताराम वाडके फाइलिंग में बार के सवाल की जांच करते हुए

औद्योगिक के तहत प्रदान किए गए उपचारों के संदर्भ में दीवानी मुकदमा

व्याख्या, 12 वीं संस्करण।, पीपी। 763-64) . हम इस सिद्धांत को यहां लागू करते हैं क्योंकि, जैसा कि ऊपर कहा गया है, न्यास अधिनियम, 1882 एक दायित्व पैदा करता है और आगे बसने वाले के अधिकारों और कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है। कई शर्तों के अलावा न्यासी और लाभार्थी

न्यास विलेख में निर्दिष्ट किया गया है और सिविल न्यायालय में आवेदन दायर करके इसके प्रवर्तन के लिए एक विशिष्ट उपाय प्रदान करता है। यही कारण है कि हमारा विचार है कि न्यास विलेख, न्यासियों और लाभार्थियों के संबंध में विवादों को तय करने के लिए न्यास अधिनियम, 1882 के तहत पर्याप्त और पर्याप्त उपाय प्रदान किया गया है।

इस तरह के निर्णय के लिए मध्यस्थता अधिनियम के तहत प्रदान किया गया उपाय विवादों को निहितार्थ द्वारा वर्जित किया जाता है।

53. तदनुसार, हमारा मानना है कि न्यास विलेख और न्यास अधिनियम, 1882 से उत्पन्न न्यास, न्यासियों और लाभार्थियों से संबंधित विवाद मध्यस्थ द्वारा तय किए जाने में सक्षम नहीं हैं। के बीच उस प्रभाव के लिए मध्यस्थता समझौते का अस्तित्व

पार्टियाँ। इस कारण से, हम मानते हैं कि द्वारा दायर आवेदन अधिनियम की धारा 11 के तहत प्रत्यर्थियों को इस आधार पर बनाए रखने योग्य नहीं है कि पहला, यह अधिनियम की धारा 7 के साथ पठित धारा 2 (1) (बी) और 2 (1) (एच) के अर्थ के भीतर एक "मध्यस्थता समझौते" पर आधारित नहीं है और दूसरा, यह मानते हुए कि एक

मध्यस्थता समझौता (न्यास विलेख का खंड 20) फिर भी उसमें निर्दिष्ट विवाद निजी क्षेत्र को भेजे जाने में सक्षम नहीं हैं। गुण-दोष पर उनके निर्णय के लिए मध्यस्थता।

54. इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि न्यास, न्यासियों और संस्थाओं के भीतर विवाद पक्षकारों के बीच मध्यस्थता समझौते के बावजूद मध्यस्थ द्वारा तय किए जाने में सक्षम नहीं हैं। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि इस तरह के विवादों को निपटाने के लिए मध्यस्थता अधिनियम के तहत प्रदान

किया गया उपाय निहितार्थ द्वारा वर्जित है। बोव मामले में निर्धारित अनुपात में उठाए गए विवादों के संबंध में पूरी तरह से लागू होता है।

बहुत अच्छा लगा।

एम/एस। ई. एम. ए. आर. एम. जी. एफ. लैंड लिमिटेड वी. आफताब सिंह [अशोक भूषण, जे.]

55. हालाँकि, हम जल्दबाजी में यह जोड़ सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है

कानून के तहत प्रदान किए गए अतिरिक्त विशेष उपचार की मांग करने का हकदार अतिरिक्त/विशेष उपचार का विकल्प नहीं चुनता है और वह एक पक्ष है

मध्यस्थता समझौता, मध्यस्थता में विवादों को आगे बढ़ाने में कोई बाधा नहीं है। यह केवल वह मामला है जहां विशिष्ट/विशेष उपचार प्रदान किए जाते हैं और जिन्हें एक पीड़ित व्यक्ति द्वारा चुना जाता है कि न्यायिक प्राधिकरण पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए हटाने से इनकार कर सकता है।

56. हम, इस प्रकार, यह नहीं पाते हैं कि द्वारा कोई त्रुटि की गई है

एन. सी. डी. आर. सी. ने धारा 8 के तहत अपीलार्थी द्वारा दायर आवेदन को अस्वीकार कर दिया। एन. सी. डी. आर. सी. के फैसले के खिलाफ इस अदालत द्वारा अपीलों को खारिज करने के लिए कोई अपवाद नहीं लिया जा सकता है। 13.02.2018 दिनांकित आदेश की समीक्षा करने के लिए कोई आधार नहीं बनाया गया है। पुनरीक्षण याचिकाएँ खारिज कर दी जाती हैं।

अंकित ज्ञान

पुनरीक्षण

याचिकाएँ खारिज कर दी गईं।